Annexure # 6

Dear Sir,

Forest Conservation Of Nature Environment Society, Samsherpur, Naugarh – Chandauli, (U.P) through its President Shri Balram Singh submitted an application to Hon. Prime Minister Of India stating complaint against Welspun Energy UP Private Limited in 12 Points application dated 16.11.2012. Regarding the complaint kindly see below clarification:

Point 1- For developing 1320 MW electricity Welspun Energy UP Private Limited at Village- Dadri Khurd (Sukhnai) near Marihan has wrongly acquired land which is belonging to Uttar Pradesh Govt. which starts from khata no. 8 gha (in column no.42) in khatoni, 217 Hect. Land which belongs to Forest Department East Mirzapur which starts from 4 kha in khatoni (in column no.4) 104.850 Hectare area. Jhari from khata no.180, (in column no.2), 1.50 Hectare area Banjar from khata no. 11 gha (in column 76) of area 125.81 hectare, Total 256 hectare land has been wrongly procured by Welspun Energy UP Pvt. Limited.

Clarification 1:- As in point no.1 the right information is this, U.P. Govt. Land is not registered in khata no. 8 gha in khatoni but it is registered in khata no.53. Khata no. of Forest Department East Mirzapur is 55 which start from khasra no. 4kha and the total area of this khata is only 2.180 hectare, khata no. 180 is not registered as Jhari, its khasra no. starts from 180 whose total area is 1.500 hectare. The Khata no. of Reserved Forest is 54 whose total area is 104.15 Hectare. Banjar starts from khasra no. 11 dha but its total area is 16.960 hectare nor 125.81 hectare. Welspun Energy UP Private Limited has purchased private land leaving Forest land and construction will be done on the purchased area. Wrong Possession on the said land is also false statement. So the application

submitted is full of errors and wrongly presented on invalid basis. Annexures – (A1,A2,A3)

Point 2 – Local Villagers who lived in forest and did Farming there for their livelihood have been harassed by Shri Kuku Tacker Authorized representative of Welspun Energy UP Private Limited. He has trapped the villagers in false cases and done the sale deed by paying very little amount to them. On huge protest from the land owners, they were trapped in false cases and on giving application to Hon'ble Minister Shri Kailash Chaurasiya Ji no action of relief was taken.

Clarification 2:- As in point no.2 the right information is this, that no land owners/villagers lives in Village – Dadri Khurd , even no land owners permanent residence in Viilage-Dadri Khurd is mentioned in govt. Records. All land owners of Village-Dadri Khurd resides in other villages. At present physically at site the land is completely vacant and banjar, no cultivation is done at site. Land owners of village-Dadri Khurd have sold their land to company by mutual understanding and on negotiation basis. The payment of land has been done by account payee cheque to the land owners. No local people are against company, by some misunderstanding one complaint application was given to hon'ble Minister Shri Kailash Chaurasiya Ji by some people, but when they came to know the reality the application was taken back by another application dated 11.06.2012. In this situation the complaint application became invalid. (Annexure b1,b2)

Point 3 - President of Pradhan Union Shri Panchdev Singh submitted a complaint application (attached in annexure) dated 29.05.2012 to Superintendent Of Police Mirzapur in which he mentioned the problems of land owners and got it signed by following land owners Shri Radhey Shyam S/o Baijnath, Shayama Bind S/o Bari, Rajendra

S/o Ram Sajivan, Bhagwani Devi W/o Raghuvir, Ram Lal Bind S/o Bacchalal, Ram Jug Bind S/o Ram Dular, Lal Mani Pal S/o Ram Naresh, Jangali S/o Nanhak, Surya Lal Bind S/o Sitaram, Ramapati S/o Makhru, Shiv Charan S/o Meetal etc against the company but till date no actions have been taken.

Clarification 3:- The complaint application (attached in annexure) by President Of Pradhan Union Shri Panchdev Singh was submitted to District Magistrate Mirzapur and Superintendent Of Police Mirzapur with signature and affidavit (attached in annexure) of 22 land owners. But after investigation Shri Panchdev Dev Singh himself took back his complaint application by submitting a regret application dated 15.05.2012 to the District Magistrate Mirzapur. He found that the people who signed the complaint application did not sell their land to the company instead they sold their land to other people, in this condition there is no question of harassing the land owners. (Annexure C1,C2,C3,C4)

Point 4:- The land of Rama Shankar Singh of Village-Dadri, Thana-Marihan and his family was purchased by kidnapping and forcefully by Shri kuku Tacker Authorized representative of Welspun Energy. On opposing against him, Rama Shankar was sent to jail by lodging false case. Regarding this Rama Shankar submitted an application to Hon'ble Chief Minister but no actions was taken against Kuku Tacker.

Clarification 4:- The right information regarding point no.4 is this, that for selling of land of Rama Shankar and his family, Rama Shankar himself discussed and negotiated with authorized representative of the company and gave a written application to company that he wants to sell his land to company. He sold his land to the company in Rs.1,61,83,999.00 in words One Crore Sixty One Lacs Eighty Three Thousand Nine Hundred Ninety Nine Rupees.

After some months of sale deed due to some misunderstanding and with an intention to blackmail the company, he started giving complaints against authorized representative for purchasing the land forcefully and by kidnapping and sending Rama Shankar Singh in Jail. But the right information is this that neither company lodged an F.I.R against him neither he was sent to jail. Regarding this when some respected localities made him understand the right information, then he executed an agreement dated 11.06.2012 with company in which he mentioned that further he will not submit any false complaints, he will not lodge any false case and will not follow up the previous complaints submitted by him. In this condition the old complaint application was submitted as annexure with this application which made the old complaints invalid. The right information is this that Rama Shankar Singh and his brother Sharan Shankar Singh alias Ram Agya Singh repeatedly submitted complaints against company so that they can blackmail company and get a ransom amount from company. Sharan Shankar Singh himself is a criminal background person, there are several criminal cases already running against him, in this condition necessary lawful actions should be taken against him. Regarding the agreement done by them was also published in news paper dated 13.06.2012 and 14.06.2012 (attached in annexure D2). (Annexure D1,D2)

Point No:-5Through Pradhan an complaint application was submitted to District Magistrate Mirzapur that Welspun Energy has purchased land 20,000.00 To 22.000.00 per bigha for this some opposing was done.

Clarification 5:-Regarding this when Pradhan came to know the reality then to clarify his misunderstanding he submitted an

application dated 15.06.2012 to The District Magistrate Mirzapur. (Annexure C-1)

Point No.6:- On 07.04.2012 for Environmental Clearance of the Power Project Public Hearing was conducted in Village Dadri Khurd. In Public Hearing along with Police P.A.C , more than25 private armed persons were present. This news was published in Hindustan New Paper date 08.04.2012. These armed persons were stopping the villagers and respected people to go to attend Public Hearing. Even the Regional Officer Of Pollution Control Board Shri Kalika Singh did not try to oppose the private armed person due to fear. Due to this the Public Hearing program could not complete due to fear to private armed persons.

Clarification 6:- Public Hearing was conducted by Pollution Control Board; the information for this hearing was published in news paper as well as proper announcement was done in villages. Public hearing was completed in the presence of Shri Kalika Singh along with Additional District Magistrate(F.R), Deputy S.P, C.O, S.D.M-Sadar and other officers of Mirzapur. In this condition in the presence of top Police Officers and Administrative Officers the news of private armed persons is fake in itself.

Point No:-7 See the news published in Rashtriya Shara News Paper dated 19.04.2012.

Point No:-8 On the establishment of Welspun Energy in Village Dadri Khurd (Sukhnai) the reserved forest in Marihan Range Dadri Beat 22 Hectare, Dahri Ram Beat 26 Hectare and Bela Beat 1800 heactare are the dense forest of Mirzapur Forest Division. These forest have precious wood along with rare species animals, it is also livelihood of many animals. In the time remaining if the establishment of this power plant did not stop then along with the forest the home of

animals will be ruined. Churk Cement Factory is the live example for this.

Clarification 8:- Establishment of Project may not harm the Forest by its Pollution keeping in mind this, Green Belt with be developed along the boundary of Project area on its 30 percent land in which some hi tech and latest pollution control tress will be planted which will absorb the pollution done by the Project. This will save the Forest area along with the animals residing in the forest from pollution. Along with this the area does not get affected by the pollution for this Welspun Energy has submitted Bio Diversity Report to the DFO Mirzapur which is prepared by the bio diversity experts along with the Forest Officers Of Mirzapur. In this report several techniques has been mentioned which will save the Animals and Forest surrounding Project area from any harm from Power Project. For this budgeting has been done for the expenses to be incurred during the process and it will be done by the company. The Power Project is based on Super Critical Technology which will reduce the pollution from the project.

Point No 9:- During the Production From the said Cement Factory, Hon'ble Supreme Court Civil appeal no-656/1964 order page no-8 has mentioned one lakh precious tress of Tendu, Aasan, Sidh, Bijaysal,Kahir,Babool,Kalms,Mahua and Kakaur were present and presently no remaining of those trees is found. These points are mentioned in the Affidavit of D.M Mirzapur and DFO Mirzapur in the case registered in Supreme Court.

Point No:-10 On the establishment of Welspun Energy in Village-Dadri Khurd (Sukhnai), the South Campus of Kashi Hindu University located in Barkacha will be affected by the pollution of the Power

Plant and the students studying and doing research from all over the world there will be mentally affected.

Clarification 10:- Clarification of point no 9 & 10 is mentioned in clarification no.8.

Point No:-11 Mirzapur an old city of India is Just 15 K.M's away from Welspun Energy Project site. The dirty water released from Welspun Energy Project will be drained in National River Ganga, since the water of National River Ganga is already polluted for purification of which already many people from India and abroad are striking and struggling. The drinking water supply in city will be affected by this water and people will become handicapped and become ill.

Clarification 11:- Welspun Energy will treat the drained water by the latest technology and will purify the water. The treated water will be utilized for different purposes. Rain Water will not be polluted by the Power Plant, Rain water will be utilized for Rain Harvesting by which the land nearby will be wet by which the trees and plants will get the wetness from soil itself. There is no plan to drain the water in river Ganga to make it polluted. Company is in support to keep River Ganga Pollution free.

Point No:-12 The site of Welspun Energy is surrounded by dense forest from all the sides, there is no old approach road. If this Plant gets Environment Clearance then millions of medicinal Plants, Birds, Animals, Trees will be destroyed.

Clarification 12:- As in point no.12 the right information is this, that on State Highway -5 (Mirzapur To Roberstganj Road) has an approach road named Kunbiya Road which connects State Highway to Project Site. Clarification of Environment Pollution in mentioned in Clarification of point No.8.

Along with the above clarification the the motto of company is to establish the Power Plant so that the local area development will be done and the farmers and unemployed will get employment and this will lead to the development of whole district.

श्रीमान् जी,

वन उपवन कन्जर्वेशन आफ नेचर इनवाइरमेन्ट सोसाइटी, समशेरपुर, नौगढ़–चन्दौली(उ0प्र0) के अध्यक्ष बलिराम सिंह द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र में कुल 12 बिन्दुओं का शिकायती प्रार्थना पत्र वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 के विरूद्ध दिनांक 16.11.2012ई0 प्रेषित किया गया है जिसके सम्बन्ध में बिन्दुवार कथन निम्नवत है :–

क्रमांक 1– में उक्त के द्वारा यह शिकायत की गयी है कि वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 के द्वारा मड़िहान के ददरीखुर्द, (सुखनई) गॉव 1320मेगावाट बिजली उत्पादन हेतु गलत ढंग से उक्त ग्राम में उ0प्र0 सरकार की जमीन जो खाता संख्या 8घ से शुरू होता है (42कालम में) 217हे0 क्षेत्रफल वनविभाग उत्तरी मीरजापुर जो खतौनी में 4ख से शुरू होता है (4कालम में) 104.850हे0 क्षे0। झाड़ी खाता सं0–180 से (2कालम में) 1.50हे0क्षे0 एवं बंजर 11घ से (76कालम) 125.81हे0क्षे0 टोटल 256.07हे0क्षे0 जमीन गलत ढंग से वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

टिप्पणी – क्रमांक 1 के सन्दर्भ में सही बात यह है कि उ0प्र0 सरकार की खाता संख्या खतौनी में 8घ नहीं है, बल्कि उक्त खाता संख्या 53 है। वन विभाग उत्तरी मीरजापुर की खाता संख्या 55 है जो आराजी नम्बर 4ख से प्रारम्भ होता है और उक्त खाते का क्षेत्रफल मात्र –2.180हे0 ही है, तथा झाड़ी की खाता संख्या 180 हरगिज नहीं है, वरन उसकी आराजी नम्बर 180 से शुरू होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.500हे0 हैं। सही बात यह है कि इसके अतिरिक्त रक्षित वन खाता संख्या 54 हैं, जिसका क्षेत्रफल 104.150हे0 है। बंजर 11घ से प्रारम्भ होता है किन्तु उसका कुल क्षेत्रफल मात्र 16.960हे0 है न कि 125.81हे0। वेलस्पन इनर्जी द्वारा खतौनी में उल्लिखित वन भूमि को छोड़कर निर्माण किये जाने की योजना है उक्त भूमि पर गलत ढंग से कब्जा कर लिये जाने की बात भी पूर्णतया मिथ्या है। इस प्रकार उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण एवं गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। संलग्नक–(ए1,ए2 व ए3)।

2. स्थानीय ग्राम वासियों जो जंगल में रहकर किसानी खेती कार्य करके जीवनयापन कर रहे थे। वेलस्पन इनर्जी के प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर द्वारा किसानों को प्रताड़ित करके फर्जी मुकदमें में फसाकर किसानों को बहुत कम मूल्य देकर बैनामा करा लिया गया है। स्थानीय किसानों के द्वारा भारी विरोध करने पर फर्जी मुकदमें में भी फसाया गया

Delhi Office:
3rd Floor,
Press Trust of India Building,
4, Parliament Street,
New Delhi - 110 001. INDIA

Tel. +91-11-66034600
Fax: +91-11-66273090 / 91
E-mail: welspun@bom2.vsnl.net.in
URL: www.welspun.com

तथा वर्तमान प्रदेश सरकार के माननीय कैलाश चौरसिया मंत्री जी के यहाँ प्रार्थना पत्र देने पर उक्त कार्यवाही के सन्दर्भ में कोई राहत नहीं मिली।

<u>टिप्पणी</u> – उक्त के सन्दर्भ में असलियत है कि ग्राम ददरीखुर्द के कास्तकार उक्त ग्राम में नहीं रहते यहाँ तक की राजस्व अभिलेख मे भी किसी कास्तकार को ग्राम ददरीखुर्द में स्थायी रूप से निवास करने का उल्लेख भी नही मिलता, वहाँ के कास्ताकर दूसरें ग्रामों मे रहते है, और स्थायी तौर पर दूसरे ग्रामो मे ही निवास करते है, उक्त भूमि मौके पर बिल्कुल खाली, बंजर भूमि है, जिसे वर्तमान मे कुछ भी बोया–जोता नहीं गया है। उक्त कास्तकारों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि को विक्रय की बातचीत करने के बाद अपनी भूमि का विक्रय मूल्य स्वयं निर्धारित कर कम्पनी के हक मे विक्रय पत्र लिखा है, और एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा विक्रय मूल्य का भुगतान प्राप्त किया हैं। जहाँ तक किसानों के विरूद्ध मुकदमें का प्रश्न है हरगिज किसी भी किसान के विरूद्ध वेलस्पन कम्पनी द्वारा कोई भी मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया गया है। स्थानीय किसानों का कभी कोई विरोध कम्पनी की प्रति नहीं रहा, भूल व भ्रम के कारण कुछ लोगों द्वारा माननीय राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया जी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, किन्तु असलियत जानने के बाद उन्होंने उसे वापस एवं निरस्त करने हेतु पुनः माननीय कैलाश चौरसिया जी को दिनांक 11 जून 2012ई0 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में उक्त शिकायत अस्तित्वहीन हो गयी है। (संलग्नक–बी1,बी2)।

3. यह कि प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री पंचदेव सिंह के द्वारा संलग्नक पीड़ित किसानों के हल्फनामा के अनुसार जो निम्न है श्री राधेश्याम पुत्र बैजनाथ, श्यामा बिन्द पुत्र बारी, राजेन्द्र पुत्र रामसजीवन, भगवानी देवी पत्नी रघुवीर, रामलाल बिन्द पुत्र बच्चालाल, रामजग बिन्द पुत्र रामदुलार, लालमनी पाल पुत्र रामनरेश, जंगली पुत्र नान्हक, सूर्यलाल बिन्द पुत्र सीताराम, रमापति पुत्र मखड्डू, शिवचरन पुत्र मित्तल आदि का हल्पनामा लगाकर मीरजापुर के पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिनांक 29.05.2012ई0 को उपस्थित होकर उक्त उद्योगपति के कारनामों की शिकायत की गयी लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुयी।

टिप्पणी – प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री पंचदेव सिंह द्वारा प्रेषित उक्त शिकायत कुल 22 लोगों के हस्ताक्षर व अगूठा निशान लगाकर व शपथ पत्र संलग्न कर जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु जॉच पड़ताल के बाद स्वयं उक्त पंचदेव सिंह जी द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष दिनांक 15 जून 2012ई0 को

उपरोक्त शिकायत की वापसी हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है, और उनके द्वारा यह दर्शाया गया कि जॉच के दौरान उन्होंने पाया कि हस्ताक्षर व अगूठा निशान लगाने वाले व शपथ पत्र देने वाले लोग अपनी जमीन को वेलस्पन इनर्जी के हक में नही वरन बहुत पहले ही अन्य लोगों के हक में बैनामा कर चुके है, ऐसी स्थिति में उन्हें डराने, धमकाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। (संलग्नक–सी1,सी2,सी3 व सी 4)

4. रमाशंकर सिंह ग्राम ददरी, थाना मड़िहान के परिवार व उनकी स्वयं जमीन वेलस्पन इनर्जी के प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर द्वारा जोर जबरजस्ती व अपहरण करके लिखावा ली गयी है विरोध करने पर फर्जी मुकदमें में इनको जेल भेजा गया। इस सन्दर्भ में भुक्तभोगी रमाशंकर सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में निवेदन किया गया लेकिन कुक्कू टेककर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की हुयी।

<u>टिप्पणी</u> – उक्त के सम्बन्ध में सही बात यह है कि रमाशंकर सिंह व उनके परिवार के द्वारा अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतः कम्पनी प्रतिनिधि से बात किया गया था, और दिनांक 5.11.2011ई0 को लिखित रूप से विक्रय के लिए निवेदन भी किया गया था, और उसकी कीमत मु0–1,61,83,999/– (एक करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार नौ सौ निन्यानबें रूपये) तय कर बैनामा किया गया था, किन्तु उनके द्वारा बैनामा के कई महीने बाद गलत फहमी होने के कारण तथा कम्पनी को ब्लैकमेल करने की नियत से कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा जबरजस्ती, अपहरण करके भूमि लिखवा लेने और रमाशंकर आदि को जेल भेजवा देने की झूठी शिकायत का प्रार्थना पत्र देना चालू कर दिया था, सही बात यह है न तो कम्पनी द्वारा इनके विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. किया गया न ही इस दौरान वे कभी जेल ही गये, उक्त के सम्बन्ध में चन्द प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समझाने बुझाने पर उन्होंने आगे कोई झूठी शिकायत न करने तथा मुकदमा दायर नहीं करने तथा पूर्व में दिये गये आवेदनों पर बल न देने के आशय का इकरारनामा भी दिनांक 11 जून 2012ई0 को वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 के साथ तहरीर किया है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पूर्व प्रेषित उन्हीं शिकायती प्रार्थना पत्र को संलग्न कर उसके आधार पर फिर से दिया गया, उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वतः शून्य है, सही बात यह है की रमाशंकर सिंह एवं उनके परिवार के लोग तथा उनके भाई शरण शंकर सिंह उर्फ रामाज्ञा सिंह द्वारा बार–बार गलत तरीके से शिकायती प्रार्थना पत्रों का दबाव बनाकर परियोजना से रूपये वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। शरण शंकर सिंह स्वयं में एक अपराधी किस्म के व्यक्ति है, जिनपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमें चल रहे है, जिनका हवाला देकर कम्पनी को ब्लैकमेल करने की नियत से झूठे प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उनके द्वारा किये गये समझौता के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी दिनांक 13 जून एवं 14 जून 2012 को प्रकाशन हुआ था, जो संलग्नक डी 2 में उल्लिखित है। (संलग्नक–डी–1,डी–2)।

यह की ग्राम प्रधान द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर के सम्बोधन पत्र में 20,000/–से 22,000/–रूपया प्रतिबीघा की दर वेलस्पन इनर्जी के द्वारा जमीन खरीदते समय विरोध किया गया था।

टिप्पणी – उक्त के सम्बन्ध मे ग्राम प्रधान द्वारा असलियत की जानकारी होने पर अपनी गलत फहमी दूर होने के आशय का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 15 जून 2012 को प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–सी–1)

5. दिनांक 07 अप्रैल 2012 को ददरीखुर्द ग्राम में पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु जन सुनवाई का कार्यक्रम लगवाया गया जन सुनवाई में पुलिस पी0ए0सी0 के अलावा 25 से अधिक नीजी असलहाधारी मौजूद थे जिसका प्रकाशन हिन्दुस्तान समाचार पत्र 08 अप्रैल 2012 में प्रकाशित हुआ था। उक्त असलहाधारी जनसुनवाई में जा रहे ग्रामीणों सम्मानित सदस्यों को जाने से रोक रहे थे यहाँ तक कि प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी श्री कालिका सिंह भी उक्त नीजी हथियारबन्ध दस्ता का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पायें। इस प्रकार जन सुनवाई का कार्यक्रम असलहाधारियों के भय से पूर्ण नहीं हो सका।

टिप्पणी – जहाँ तक पर्यावरणीय जन सुनवाई की बात है उक्त जनसुनवाई पर्यावरण विभाग द्वारा करायी गयी थी, जिसकी सूचना बजरिये समाचार पत्र प्रकाशन व एनाउन्समेन्ट करायी गयी थी, और प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्वयं पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गयी थी, जन सुनवाई श्री कालिका सिंह जी के साथ, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, मीरजापुर आदि उच्चांधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुयी थी, ऐसी स्थिति में पुलिस उच्चाधिकारी व पुलिस फोर्स की उपस्थिति में नीजी असलहाधारी द्वारा लोगों को रोकने आदि की बातें स्वयं में मिथ्या है।

6. 19 अप्रैल 2012 राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों का अवलोकन करें।

7. वेलस्पन इनर्जी ददरीखुर्द(सुखनई) ग्राम में स्थापना होने से आरक्षित वन मड़िहान रेंज के ददरी बीट 22हे0क्षे0, दाढ़राम बीट 26हे0क्षे0 एवं बेला बीट 1800हे0क्षे0 जो कि मीरजापुर बन प्रभाग सबसे घना जंगल है, जिसमें कीमती लकड़ियों के अलावा दुलर्भ प्रजातियों के जीवों का वास स्थल है, जिसमें अन्य जीव विचरण करते है समय रहते इस पावर प्लान्ट को रोका नहीं गया तो जंगल के साथ साथ वन्य जीवों का बसेरा भी समाप्त हो जायेगा। उल्लिखित चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री इसका प्रत्यक्ष गवाह है।

<u>टिप्पणी</u> — प्रोजेक्ट की स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण न हो इसे ध्यान में रखते हुये परियोजना स्थल के चारों तरफ 30प्रतिशत भूमि पर हरतिपट्टिका एवं उसमें अत्याधुनिक प्रजाति के प्रदूषण निरोधक पेड़ लगाये जायेंगे जो परियोजाना से उत्सर्जित प्रदूषण को स्वयं मे समाहित कर लेंगे, ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र मे स्थित पेड़ पौधे, जीव जन्तु आदि हरगिज प्रदूषण से प्रभावित नही होंगे। वैसे भी वहाँ पर प्रदूषण का प्रभाव न पड़े इसलिए वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा विशेषज्ञों की बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की देख–रेख में तैयार करायी गयी है, जिसमें परियोजना स्थल के आस–पास रहने वाले जीव–जन्तुओं, पेड़, पौधों आदि पर परियोजना के कुप्रभाव से बचाव के लिए वृहद अध्ययन कर उस पर खर्च होने वाले बजट व सर्वोत्कृष्ट कार्यप्रणाली अपनाये जाने का विस्तृत उल्लेख किया गया है, उपरोक्त परियोजना में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जायेगा, जो सुपरक्रिटिकल टेक्नोलाजी पर आधारित होगा, ऐसी स्थिति में परियोजना की स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की सम्भावना नही रहेगी।

8. उल्लेखनीय है कि उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री उत्पादन के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं0–656/1964 के आदेश के पेज सं0–8 पर उल्लिखित एक लाख पेड़ तेन्दू, आसन, सिद्ध, बिजयसाल, खैर, बबूल कल्म्स, महुऑ और ककोर के मूल्यवान पेड़ मौजूद थे जो वर्तमान में उन पेड़ों के अवशेष भी नहीं है, ऐसी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमें में कलेक्टर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनधिकारी मीरजापुर के हलफनामें में चर्चा की गयी है।

9. वेलस्पन इनर्जी ददरीखुर्द(सुखनई) गॉव में स्थापना होने से इससे सटे लगभग 5किमी0 की दूरी में स्थापित विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा राजीव गॉधी दक्षिणी परिसर बरकछा पर भी पर्यावरणीय असर पड़ेगा साथ ही विभिन्न

देशों से अध्ययन हेतु आये शोधरत छात्र छात्राओं को मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा।

टिप्पणी— (क्रमांक 8,9,10 के सम्बन्ध में क्रमांक 8 की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है)

10. वेलस्पन इनर्जी के स्थापना स्थल से भारत वर्ष का पुराना शहर मीरजापुर मात्र 15कि0मी0 की दूरी पर है उल्लेखनीय है कि वेलस्पन इनर्जी के द्वारा प्लान्ट का दूषित पानी शहर से राष्ट्रीय नदी गंगा में गिराया जायेगा जबकि राष्ट्रीय नदी गंगा का पानी पहले से ही दूषित है जिसको शुद्ध एवं निर्मल क्रमशः करने के लिए देश विदेश के सन्त व आमजन लोग अनशन प्रदर्शन लगातार करते आ रहे है। शहर में हो रही पेयजल की आपूर्ति से लाखों की संख्या में लोग विकलांग एवं बीमार भी जायेंगे।

टिप्पणी— वेलस्पन इनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा निकलने वाले दूषित जल को अत्याधुनिक नई तकनीक से वहीं पर शुद्ध कर कम्पनी द्वारा उसे अपने अलग–अलग जरूरतों के लिए प्रयोग करने की योजना है, जहाँ तक वर्षा के जल का प्रश्न है ऐसा जल कम्पनी द्वारा प्रदूषित नहीं होगा, वर्षा के जल को रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा कम्पनी स्वयं प्रयोग में लायेगी, जिससे वहाँ का वातावरण एवं भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहे, और पेड़, पौधों को पर्याप्त नमी मिल सके, ऐसी स्थिति में उक्त पानी को गंगा नदी में गिराकर गंगा नदी को दूषित करने की कोई योजना नहीं है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु उक्त परियोजना पूर्णतः सहमत है।

11. वेलस्पन इनर्जी पावर प्लान्ट जहाँ स्थापित होना है उसके चारों तरफ घना जंगल है आने जाने का कोई भी पुराना रास्ता मौजूद नहीं है इस प्लान्ट को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने से बन एवं अन्य जीव तथा करोंड़ों की वनऔषधियाँ नष्ट हो जायेगी।

टिप्पणी— उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजमार्ग नं0–5(मीरजापुर से रावर्टसगंज मार्ग) पर कुनबियाँ मार्ग से परियोजना स्थल तक पहुँचने हेतु सम्पर्क मार्ग/रास्ता स्थित है जहाँ तक पर्यावरण का प्रश्न है, के सम्बन्ध में क्रमांक 8 की टिप्पणी में उल्लेख किया जा चुका हैं।

उपरोक्त के अलावा सानुरोध अवगत कराना है कि कम्पनी का उद्देश्य परियोजना की स्थापना के साथ क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय किसानों को एवं बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाकर उनका व जनपद का उत्थान करना है।

For WELSPUN ENERGY U.P. PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory / Director

संलग्नक :—

इ—1— आपराधिक इतिहास रामाज्ञा सिंह उर्फ शरण शंकर सिंह।

इ—2— एफ.आई.आर. की सूची(रामाज्ञा सिंह)

इ—3— एफ.आई.आर. सत्येन्द्र कुमार बनाम रविन्द्र सिंह(एक्सजाइज एक्ट)

इ—4— एफ.आई.आर. कालिन्दी बनाम शांति देवी आदि

इ—5— एफ.आई.आर. महेन्द्र कुमार बनाम रामाज्ञा सिंह (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)

इ—6— एन.सी.आर. कुक्कू टेक्कर बनाम शरण शंकर उर्फ रामाज्ञा सिंह(धारा—506आई.पी.सी.)

इ—7— एन.सी.आर. फारूख बनाम रामाज्ञा सिंह(धारा—504,506आई.पी.सी.)

इ—8— एफ.आई.आर. मदन तिवारी बनाम रामाज्ञा सिंह आदि

इ—9— 10, 11 व 12 रजिस्ट्री विक्रय मूल्य का चेक रमाशंकर सिंह आदि

इ—13— विक्रय मूल्य की प्राप्ति की रसीद।

इ—14,15 विक्रय मूल्य की चेक कृपाशंकर, रमाशंकर, जितेन्द्र बहादुर व शरण शंकर(मु0—16183999/—)

इ—16— विक्रय मूल्य का विवरण मु0—1,61,83,999/—

इ—17— रमाशंकर द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र की वापसी हेतु जिलाधिकारी को पत्र।

इ—18— शिकायती प्रार्थना पत्र रामअवध सिंह आदि।

इ—19— रमाशंकर सिंह आदि द्वारा अपनी जमीन विक्रय करने हेतु श्री कुक्कू टेक्कर दिये गये पत्र दिनांकित 05.11.2011ई0 की प्रतिलिपि।

इ—20 से 27 तक—बैंक स्टेटमेन्ट।

इ—28— रामाज्ञा सिंह व उनके परिवार के भूमि का विवरण।

जनपद : मीरजापुर ग्राम का नाम : दद्री खुर्द फसली वर्ष : 1414-1419 परगना : पहाड़ी भाग : 1 तहसील : सदर A-1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संख्या सहित दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	I
श्रेणी : 4	भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेकें स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो।								
00053	उत्तर प्रदेश सरकार		नि. ग्राम		8घ	0.1900		वाद सं.31उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर दिनांक 20.05.11 अन्तर्गत धारा 33/39 भू.रा. अ0 ग्राम दद्री खुर्द तप्पा-84 परगना कंन्तित तह.सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी वर्ष 1414-1419के के खाता सं.53 में श्रेणी 4 के स्थान पर श्रेणी 4 क अंकित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया जाय ह.र.का.दि.26.05.1	
					18घ	0.2500			
					19घ	0.2500			
					20घ	0.1800			
					22घ	0.2500			
					23ड.	0.3500			
					26घ	0.4500			
					28ख	0.4900			
					34घ	0.1000			
					35घ	0.0600			
					47ख	0.2800			
					49ड.	0.5600			
					52ड.	0.0700			
					65ग	0.4600			
					55घ	0.1000			
					57ग	0.1200			
					117ख	0.2500			
					118ख	0.1900			
					164	0.3200			
					165ख	0.0600			
					173छ	0.2500			
					175घ	0.0500			
					181क	0.2800			
					192.	1.1000			

उप भूमि अभिलेख सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील सदर, मीरजापुर

8/25/2012

8

: मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-141[illegible] भाग : 1 तहसील : सदर

क्रम	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
	2			3	4	5	6	7-12	13
					193	0.5000			
					197च	0.0300			
					198च	2.5600			
					199प	0.1500			
					202घ	0.0300			
					203घ	0.1000			
					206ङ.	0.0600			
					207ग	0.1200			
					216ग	0.6200			
					222ध	0.1200			
					223ङ.	0.4600			
					224ध	0.1100			
					226ख	0.1700			
					227	3.3100			
					228घ	1.6400			
					230ध	0.7700			
					236ख	1.9500			
					239ख	2.3700			
				कुल गाटे :	42 कुल क्षे :	21.7300			

25/8/12
[illegible] आशुलिपिक
[illegible] / रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील सदर, मीरजापुर

2

7

ग्राम क्रमांक : 31010542683 ग्राम का नाम : ददरी परगना : पहाड़ी तहसील : सदर A-7

जनपद : मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी ग्राम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	की खसरा संख्या	का क्षेत्रफल (हे.)	द्वारा देय मालगुजारी या लगान	संसाश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आता देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 5-1	कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)							
00055	वनविभाग उत्तर मीरजापुर		नि. ग्राम		4ख	0.2500		
					32	0.1700		
					74	0.4500		
					198छ	1.3100		
				कुल गाटे :	4 कुल क्षे :	2.1800		

हस्ताक्षर 25/8/12

मुख्य कक्ष / रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील सदर मीरजापुर

8/25/2012

A-2

ग्राम क्रमांक : 31010542683 ग्राम का नाम : ददरी खुर्द परगना : पहाड़ी तहसील : [illegible]र

जनपद : मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-1	कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)								
00054	रक्षित वन		नि. ग्राम		1	13.8000			
					2	13.3800			
					3	4.7500			
					4क	6.0000			
					5	16.7000			
					6	10.4000			
					23छ	2.0100			
					30	1.7500			
					31ख	1.0100			
					53	6.1500			
					219	9.0500			
					232	9.0000			
					233	8.0000			
					234	2.8500			
				कुल गाटे :	14 कुल क्षे :	104.8500			

उ० भूमि अध्यक्ष
उपनिबन्धक/रजिस्ट्रार कानूनगो
पहाड़ीय ब्लाक, मीरजापुर

8/25/2012

(1)

[illegible] क्रमांक : 31010542683 ग्राम का नाम : [illegible]खुर्द परगना : पहाड़ी [illegible]ल : सदर A-3

जनपद : मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	[illegible] द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या आज्ञा सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 5-2	कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम)							
00056	झाड़ी		नि. ग्राम		180	1.0100		
					216ज	0.4900		
				कुल गाटे :	2 कुल क्षे :	1.5000		

[illegible] 842
हस्ताक्षर
[illegible] / रजिस्ट्रार कानूनगो
[illegible], मीरजापुर

8/25/2012

15

ग्राम क्रमांक : 31010542683 ग्राम का नाम : ददरी खुर्द परगना : पहाड़ी तहसील : सदर

जनपद : मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या वसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-3-छ	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।								
00057	बंजर		नि. ग्राम		11घ	0.4600			
					12घ	0.1000			
					14च	0.0100			
					14ङ.	0.0200			
					21घ	0.1300			
					22ङ.	0.1200			
					24घ	0.1600			
					34ङ.	0.0400			
					35ङ.	0.0400			
					37घ	0.1200			
					41ग	0.0600			
					42घ	0.1700			
					43ङ.	0.0200			
					50घ	0.0700			
					169घ	0.3500			
					171घ	0.0600			
					173ज	0.0900			
					174घ	0.1200			
					175ङ.	0.0200			
					176ग	0.0100			
					177ग	0.0100			
					179ग	0.0700			
					184ङ.	0.0200			
					186छ	0.0100			

खाता क्रमांक : 31010542683 ग्राम का नाम : ददरी ... परगना : पहाड़ी तह : सदर

जनपद : मीरजापुर फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश का सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	1
					189ड.	0.1500			
					192ड.	0.2700			
					195घ	0.0800			
					196घ	0.0700			
					197छ	0.0400			
					199ड.	0.1000			
					200ड.	0.0200			
					202ड.	0.0700			
					203ड.	0.9600			
					205घ	0.1800			
					207घ	0.3600			
					210घ	0.1700			
					211घ	0.0400			
					212घ	0.1700			
					213ख	0.0700			
					214घ	0.5500			
					215ग	0.2700			
					223च	0.0500			
					224ड.	0.0900			
					225ड.	0.0200			
					227घ	0.5000			
					229ड.	0.6500			
					231छ	0.0300			
					231ड.	2.1400			
					235घ	2.5900			
					236क	0.1400			
					239ग	0.8500			
					240	3.4500			

B—1

DM/ADM
पत्र का संज्ञान लेकर न्या कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, व अवगत करा।
(कैलाश चौरसिया)
राज्य मन्त्री
बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
उ०प्र०

माननीय मंन्त्री जी,
जनपद मीरजापुर उ०प्र० सरकार
महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम समस्त प्रार्थीगण ग्राम ददरीखुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापु स्थायी निवासी हैं। महोदय, एक कम्पनी वेलस्पन एनर्जीक नायक जिसके प्रतिनिधि कुक्कू टेक्क मीरजापुर के स्थानीय कुछ दलालों को लेकर पुलिस से मिलकर निरिह ग्रामवासियों को फर्जी मुकद फंसा कर धौंस देकर कि यह कम्पनी मायावती जी के भाइयों की है, तथा प्रमुख गृह सचिव व इसमें पार्टनर हैं। जमीन लिख दो नहीं तो अभी दारू, गांजा में बन्द करवाया हूँ, अब रासुका व गैंगेर धारा लगवाकर जेल भेज कर आजीवन के लिए सड़ा डालेंगे। महोदय, आज तक किसी भी ग्रामवासी न तो कोई विवाद था न तो गॉव में कोई गलत कार्य करने वाला व्यक्ति ही रहता था। ना–ना प्रव के फर्जी मुकदमों में फंसाकर समझौता के नाम पर मिर्जापुर बुलाकर फर्जी ढंग से जमीनों की रजिस करवा लिए बाद में रूपयों का चेक देकर फिर जबरजस्ती अपनें नाम से चेक पर हस्ताक्षर करवाद बैंक से पैसा निकाल लिए। महोदय, हम ग्रामवासी, वर्षो से अपनी गुहार जिलाधिकारी, पुलिस प्रमु मानवाधिकार आयोग, तथा उच्चाधिकारियों तथा मीडिया वालों के यहां तक तमाम प्रकार के प्रार्थना प दिये, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्हें हम किसानों को प्रताड़ित होना पड़ा। महोदर गरीबों में जीवन यापन कर रहे, किसानों का जमीनों का बिना सहमति औने–पौने दामों पर पुलिस व सहयोग से ले लिए तथा वर्तमान आत्त हत्या या कानून विरोधी कार्य करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा हैं।

अतः माननीय जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण की जॉच कराकर किसानों की जमीन, मकान, कुऑ, पेड़ बोरिंग खेतो के पत्थर की बाउण्ड्री की उचित मुआवजा दिलवाकर किसानों की आने वाली पीढ़ियों को देश की मुख्य धारा से जुड़े रहने का सौभग्य प्रदान करें। ताकि न्याय हो।

दिनांक......................

सूचनार्थ प्रेषित

प्रार्थीगण

शरण शंकर सिंह
कृपाशंकर सिंह
सुरेन्द्र यादव
महेन्द्र प्रसाद
हरिलाल, बब्बन बिन्द
सुमेर पुत्र जोधन
कन्हैया लाल

15

( ) B-2

सेवा में,

श्री कैलाश चौरसिया
राज्य मंत्री
बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सन्दर्भ : पत्र द्वारा रामाज्ञा सिंह, कृपाशंकर सिंह आदि।

विषय : सन्दर्भित पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा 84, परगना कंतित, जिला मीरजापु के ग्रामीण निवासी है। हम सीधे सादे लोग है तथा कुछ राजनीतिक एवं असामाजिक तत्वों के बहका में आकर गलती से सन्दर्भित पत्र श्रीमान जी को प्रेषित कर दिया। पर जब सच्चाई हमारी सामने आर तो हमें काफी पश्चाताप एवं ग्लानि हुई। हमारी मुलाकात वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड व वाइस प्रेसिडेन्ट एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर जी से हुई एवं उनके साथ आपसी ए सामाजिक बैठक करने के उपरान्त यह पता चला कि यह कम्पनी ग्रामीणों के शोषण करने हेतु नह वरन ग्रामीणों के जीवनस्तर एवं जीवन जीनें की शैली के उत्थान हेतु आयी हैं। श्री कुक्कू टेक्कर ज के विचार बड़े ही ओजस्वी थे उन्होंने ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए कम्पनी द्वारा किये जा रहे तथ भविष्य में किये जाने वाले कार्यक्रमों से हमे अवगत कराया तथा भू–माफियाओं एवं बिचौलियों से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होनें ग्रामीण भू–स्वामियों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की जायेगी, वह आपसी समझौते पर आधारित होगा एवं भू–स्वामी को उचित एवं बाजारू मूल्य से एक भी पैसा कम नहीं दिया जायेगा। हम ग्रामीण जिनकी भी भूमि ग्राम ददरीखुर्द में स्थित है, वह बिल्कुल ही अनुउपजाऊ है तथा उसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती है। विक्रय करने पर भी कोई क्रेता नहीं मिलता है। अतः कम्पनी द्वारा दिया गया मूल्य बाजारू मूल्य से कई गुना अधिक है एवं आपसी समझौते के आधार पर तयशुदा हैं। अभी तक जो भी भूमि कम्पनी को विक्रय की गयी है उसमें पूर्ण पारदर्शिता तथा भू–स्वामियों को उचित एवं तयशुदा राशि का भुगतान किया गया है। हमें कभी भी श्री कुक्कू टेक्कर जी ने किसी प्रकार की धमकी नहीं दी है बल्कि चन्द भू–माफिया जो हमारी भूमि औने पौने दामों में खरीद कर कम्पनी उक्त को ब्लैकमेल करना चाहते है कम्पनी के नाम पर सीधे सादे ग्रामीणों को धमकी दे रहे थे पर भुलवश जिसे हमने कम्पनी के द्वारा दी गयी धमकी समझकर गलती से सन्दर्भित पत्र प्रेषित कर दिया।

रामाज्ञा सिंह कृपाशंकर सिंह

वेलस्पन कम्पनी हम ग्रामीणों के उत्थान के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रही है एवं अन्य व प्रकार के कार्यक्रम भी चला रही है जिससे ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार होना निश्चित हैं। तहेदिल से चाहते है कि कम्पनी इस क्षेत्र में विद्युत परियोजना स्थापित करें जिससे ग्राम ददरीखुर्द नहीं वरन मीरजापुर एवं उत्तर प्रदेश प्रगति के राह पर चल पड़े। हम राज्य के इस प्रगति के मार्ग रोड़ा नहीं बनना चाहते है बल्कि कन्धे से कन्धा मिलाकर वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्व स्थपित किये जाने वाले तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण में सहायक बनना चाहते हैं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि भूलवश हमारें द्वारा दिये गये सन्दर्भित आवदेन पत्र व निरस्त करने की कृपा की जाय।

11.06.2012.

प्रार्थीगण

रामाज्ञा सिंह

कृपाशंकर सिंह,

C—1

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद मीरजापुर

सन्दर्भ :प्रार्थना पत्र द्वारा पंचदेव सिंह ग्राम प्रधान पड़री (प्रधान संघ अध्यक्ष) विकास खण्ड पहाड़ी, जनपद मीरजापुर।

विषय : सन्दर्भित पत्र को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ग्रामीण निवासी है तथा सीधे साधे लोग है। कुछ भुलवश हमने सन्दर्भित पत्र श्रीमान् जी को प्रेषित कर दिया था पर सच्चाई हमारी सामने आयी तो हमें काफी पश्चाताप व आत्मग्लानी हुई। हमारी मुलाकात वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेन्ट एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर जी से हुई एवं उनके साथ आपसी एवं सामाजिक बैठक करने के उपरान्त यह पता चला कि यह कम्पनी ग्रामीणों के शोषण करने हेतु नहीं वरन् ग्रामीणों के जीवनस्तर एवं जीवन जीनें की शैली के उत्थान हेतु आयी हैं। श्री कुक्कू टेक्कर जी के विचार बड़े ही ओजस्वी थे उन्होंने ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए कम्पनी द्वारा किये जा रहे तथा भविष्य में किंये जाने वाले कार्यक्रमों से हमे अवगत कराया तथा भू–माफियाओं से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होनें ग्रामीण भू–स्वामियों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की जायेगी, वह आपसी समझौते पर आधारित होगा एवं भू–स्वामी को उचित एवं बाजारु मूल्य से एक भी पैसा कम नहीं दिया जायेगा। हम ग्रामीण जिनकी भी भूमि ग्राम ददरीखुर्द में स्थित है, वह बिल्कुल ही अनुउपजाऊ है तथा उसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती है। विक्रय करने पर भी कोई क्रेता नहीं मिलता है। अतः कम्पनी द्वारा दिया गया मूल्यं बाजारु मूल्य से कई गुना अधिक है एवं आपसी समझौते के आधार पर तयशुदा हैं। अभी तक जो भी भूमि कम्पनी को विक्रय की गयी है उसमें पूर्ण पारदर्शिता तथा भू–स्वामियों को उचित एवं तयशुदा राशि का भुगतान किया गया है। हमें कभी भी श्री कुक्कू टेक्कर जी ने किसी प्रकार की धमकी नहीं दी।

सच्चाई यह कि कुछ भू–माफिया तथा ब्लैकमेलर जो हम ग्रामीणों की जमीन धमका चमकाकर खरीदना चाहते है तथा उसी भूमि को गलत दबाव बनाकर वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को बेचना चाहते है ग्रामीणों को धमका रहे है तथां सीधे साधे ग्रामीणों को कम्पनी के सम्बन्ध में गलत जानकारी देकर भड़का रहे है एवं वता रहे है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी

...लि0 ग्रामीणों का अपहरण कर लेगी, हत्या करा देगी, पैसे छिन लेगी, बिना विक्रय मूल्य दिये बैनामा करवा लेगी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा उनके पैसे निकाल लेगी। सीधी साधे ग्रामीण जनता इन भू–माफियाओं एवं ब्लैकमेलरों के बहकावें में आकर भुलवश वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के समान विश्वप्रसिद्ध कम्पनी को गलत समझ बैठी। भू–माफियाओं के द्वारा कम्पनी उपरोक्त के सम्बन्ध में गलत प्रचार किये गये उपरोक्त तथ्य सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। हम प्रधानगण एवं प्रधान संघ अध्यक्ष ग्रामीण जनता के कहने पर सन्दर्भित पत्र श्रीमान् जी के पास प्रेषित कर दिया। परन्तु हम सभी सदस्यों ने मिलकर अपने स्तर पर तथ्यों की जॉच की तो हमें पता चला कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 की तरह विश्वप्रसिद्ध कम्पनी के विरुद्ध एक साजिस के तहत गलत एवं भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जिससे वेलस्पन कम्पनी उक्त भू–स्वामियों से सीधे सीधे सम्पर्क कर भूमि का सौदा न कर सके तथा ग्रामीण भूस्वामी भूमि का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर सके। सन्दर्भित पत्र के साथ कुल 22 हस्ताक्षर एवं अगूठें निशान बनाये गये है, हमारें जॉच में यह पता चला कि इन अगूठा निशानी में भगवानी देवी, मूरता देवी, हिन्छलाल, पूनवासी, शिवचरन, रामपति, रामचन्दर एवं सूर्यलाल का भी अगूठा निशान है पर इन लोगों ने वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड के हक में कभी भी कोई बैनामा निष्पादित नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्रों जिनकी संख्या 11 है की जॉच किया तो हमें पता चला कि इनमें सूर्यलाल बिन्द पुत्र सीताराम, शिवशरन बिन्द पुत्र मित्तल, रमापति पुत्र मखडू, भगवानी देवी पत्नी रघुवीर, रामचन्दर बिन्द पुत्र रामजियावन, राधेश्याम बिन्द पुत्र बैजनाथ ने वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के हक में कभी कोई बैनामा निष्पादित ही नहीं किया है। उक्त लोगों ने भिन्न भिन्न लोगों को अपनी भूमि का पंजीकृत बैनामा बहुत पूर्व में ही कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें भयभीत करना या उन्हें डरा, धमका, चमका कर भूमि क्रय किये जाने की बात हमारें जॉच में साबित नहीं हुयी।

जहॉ तक वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर जी का प्रश्न है ये ग्रामीण जनता के दरवाजे से दरवाजे(डोर टू डोर) जाकर उन्हें कम्पनी के सम्बन्ध में जानकारी देते है तथा कम्पनी को भूमि देने पर होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराते है जो भू–माफियाओं को बिल्कुल नापसंद है। अतः इनके बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

भू–माफिया असलहाधारियों के साथ अनेका नेक वाहनों में आकर ग्रामीणों को धमकाते है तथा कम्पनी उक्त के बारे में भ्रामक प्रचार करते है। श्री कुक्कू टेक्कर जी ने कभी भी किसी ग्रामीण के खिलाफ झूठा, बनावटी एवं मनगढंत मुकदमा दाखिल नहीं किया है।

क्रमशः पेज–3

वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड इस क्षेत्र में एक वृहद तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने जा रही है जिससे ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा, मजदूरों का पलायन रुकेगा जनपद का विकास होगा देश आगे बढ़ेगा। इस महान कार्य में हम भी श्री मुन्शी सिंह जी की तरह जुड़ना चाहते है तथा इस विकास कार्य में सहयोगी बनना चाहते है। हम भी श्रीं कुंक्कू टेक्कर जी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर मुन्शी सिंह जी की तरह ही सहभागी बनना चाहते है।

अतः श्रीमान् जी वे विनम्र प्रार्थना है कि हमारें द्वारा पूर्व में दिये गये सन्दर्भित प्रार्थना पत्र को अविलम्ब खारिज किया जाय एवं वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाय जिससे कि क्षेत्र में उनके द्वारा लगाये जाने वाले तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण जल्द से जल्द हो सके जिससे ग्रामीण जनता तथा मीरजापुर जनपद का कल्याण हो सके।

दि0 15.06.12.

प्रार्थी

प्रधान – ग्राम पंचायत – पड़री
न्याय पं0 भरपुरा
वि0 खं0 पहाड़ी
जिला – मीरजापुर

त्रिलोकीनाथ

WELSPUN
Daro lo Commit

C – 2

WELSPUN ENERGY UP PVT. LTD.

पत्रांक : WEUPPL/MZP./...51..

Dt.01-06-2012

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद मीरजापुर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाइस प्रेसिडेन्ट है तथा मुम्बई का निवासी है। मीरजापुर में अपनी नौकरी के क्रम में रह रहा है तथा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित होने वाले 1320मेगावाट विद्युत प्लान्ट हेतु भूमि किसानों से सहमति के आधार पर क्रय कर रहा है। इस क्रय करने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाती है तथा किसानों को विक्रय मूल्य चेक के द्वारा दिया जाता है जो उनके खाते में जमा होता है। खाते का संचालन मात्र ही खातेदार ही कर सकता है न कि कोई अन्य। भूमि का हस्तान्तरण वैधानिक तरिके से बजरिये पंजीकृत बैनामा कराया जाता है जो रजिस्ट्री आफिस मीरजापुर में रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित होता है। प्रत्येक बैनामें में स्टाम्प डियूटी में सरकार द्वारा पचास प्रतिशत की छूट दी गयी हैं तथा इस छूट हेतु सरकार द्वारा यह शर्त भी रखा गया है कि महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र एक गवाह के तौर पर प्रत्येक बैनामें में उपस्थित रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में किसी किसान को मुम्बई शहर के दूरस्थ निवासी जो कि एक नौकरी पेशा तथा कम्पनी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है एवं उच्च वेतनभोगी व्यक्ति है, द्वारा अपहरण कर तथा बन्धक बनाकर , उनकी भूमि हस्तान्तरित कराने की बात बिल्कुल गलत, मनगढ़त और बनावटी है और प्रार्थी को मात्र दबाव एवं ब्लैकमेल की गरज से बतायी गयी है। जहॉ तक फर्जी संगीन मुकदमें का प्रश्न है श्री कुक्कू टेक्कर जी के द्वारा कभी किसी किसान के विरूद्ध गलत फर्जी या बनावटी मुकदमा दायर नहीं किया गया हैं। जहॉ तक बैंक में खाता खुलवाने का प्रश्न है तो यह आरोपकर्ता द्वारा स्वयं बताया जा रहा है कि किसानों को चेक द्वारा विक्रय मूल्य का भुगतान किया जाता है अगर किसानों को डरा धमकाकर अपहरण कर या दबाव में लाकर भूमि हस्तान्तरित करवाना होता तो चेक द्वारा विक्रय मूल्य के भुगतान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी वरन बैनामें में नकद भुगतान दिखाया जा सकता था। विदित हो कि बैनामें की रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटीकृत है तथा रजिस्ट्री कार्यालय में कम्प्यूटर द्वारा विक्रेता का फोटों एवं अगूठे का निशान लिया जाता है। यह सारी प्रक्रिया दिन में भीड़ भरे रजिस्ट्री आफिस में होती है अतः यहॉ अपहरण कर या डरा धमाकर भूमि हस्तान्तरित करना असम्भव हैं। प्रार्थी को असमाजिक तत्वों द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही तथा गुण्डा टैक्स की

मांग की जाती रही है एवं नहीं देने की स्थिति उनकी हत्या की धमकी दी गयी। जब इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने आवेदन दिया तो उसे सरकार द्वारा चौबीस घण्टे के लिए एक सशस्त्र बाडी गार्ड प्रदान किया गया ऐसी परिस्थिति में असमाजिक असलहाधारियों के साथ प्रार्थी के रहने की बात पूर्णतः झूठ, मनगढंत एवं बनावटी हैं।

जहाँ तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हस्ताक्षर एवं अगूठा के निशान एवं शपथ पत्रों का प्रश्न है। यह भी पूर्णतः झूठ पर आधारित है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हस्ताक्षर एवं अगूठा निशान में कुल 22 हस्ताक्षर एवं अगूठे के निशान बनाये गये है। इनमें अगूठा निशानी भगवानी देवी, मूरता देवी, हिन्छलाल, पुनवासी, शिवचरन, रामपति, रामचन्दर, सूर्यलाल का भी बनाया गया है। सत्यता यह है कि उपरोक्त लोगों से वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड ने कोई भी भूमि क्रय नहीं किया हैं। अतः इनके साथ मारपीट भयादोहन, अपहरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह पूर्णतया मिथ्या दोषारोपण किया गया है तथा इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी के विरुद्ध दिया गया है पूर्णतः झूठ पर आधारित तथा मात्र दबाव बनाने के हेतु दिया गया है। जहाँ तक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र का प्रश्न है यह भी पूर्णतः नाम पर आधारित है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्रों की संख्या 11 हैं। इसमें सूर्यलाल बिन्द पुत्र सीताराम, शिवचरन बिन्द पुत्र मित्तल, रामापति पुत्र मखड्डू, भगवानी देवी पत्नी रघुवीर, रामचन्दर बिन्द पुत्र रामजियावन, राधेश्याम बिन्द पुत्र बैजनाथ ने वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड के हक में कभी कोई बैनामा निष्पादित ही नहीं किया है। सत्यता यह कि उक्त लोगों ने अन्य भिन्न–भिन्न लोगों को अपनी भूमि का पंजीकृत बैनामा बहुत पूर्व में ही कर दिया है जिससे स्पष्ट है कि उन्हें भयभीत करके उनकी भूमि क्रय करने की कहानी पूर्णतः कपोल कल्पित हैं और हम प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र के परिशीलन से ही सिद्ध होता है कि प्रार्थना पत्र झूठ पर आधारित एक बनावटी प्रार्थना पत्र है जो मात्र प्रार्थी पर दबाव डालने एवं भयभीत कर अवैध वसूली हेतु दिया गया है।

अतः श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए झूठे प्रार्थना पत्र देने के आरोप में प्रार्थना पत्र दाता पंचदेव आदि पर उचित कानूनी कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

प्रार्थी

कुक्कू टेक्कर
अधिकृत प्रतिनिधि एवं उपाध्यक्ष
वेलस्पन एनर्जी यूपी० प्रा०लि०

प्रेषित के -

श्रीमान एडीशनल अधीक्षक महोदय
जनपद- मीरजापुर

C-3.

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद-मीरजापुर।

प्रार्थना पत्र द्वारा:- पंचदेव सिंह ग्राम प्रधान पड़री(प्रधान संघ अध्यक्ष) विकास खण्ड पहाड़ी,जनपद-मीरजापुर।

श्रीमानजी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी उपरोक्त स्थान का रहने वाला सीधा साधा सम्भ्रांत व्यक्ति है व वर्तमान समय में अपने मौजे का ग्राम प्रधान एवं प्रधान संघ अध्यक्ष वि०खण्ड पहाड़ी मीरजापुर है।प्रार्थी के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आने वाला ग्रामददरी खुर्द थाना- मड़िहान,जनपद मीरजापुर में वेलस्पन इनर्जी यू.पी.प्रा. लि. के प्रतिनिधि कुक्कू टेक्कर व उनके हेलो मेलो साथियों मुंशी सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी मो० मिशनकम्पाउण्ड थाना कोतवाली शहर जनपद -मीरजापुर अपने गुण्डई व दबंगई के बल पर पूर्व योजना वद्ध तरीके से एक साजिश के तहत ददरी खुर्द के कई गरीब निर्धन अनपढ़ किसानो को थाना इलाका मड़िहान की पुलिस को अपने साजिश में मिलाकर निर्धन किसानो के विरुद्ध थाना इलाका मे फर्जी संगीन मुकदमा कायम करवाकर उनके परिवार के सदस्यों का अपहरण कर निर्धन किसानों को मजबूर करना एवं किसानों को बन्धक बनाकर उनको ब्लैक मेलकर बैंक ले जाकर कुक्कू टेक्कर व मुंशी सिंह उनके नाम से फर्जी कागजातो व बैंक के फर्जी गारन्टर को खड़ा कर उनका बैंक मे खाता खुलवाना व सब रजिस्ट्रार कार्यालय मीरजापुर ले जाकर उनकी भूमि का पूर्णरूप से मानसिक दवाव व हड़का चमकाकर बैनामा करवा लेना एवं बैनामा करवाने के दो चार दिन बाद फर्जी तौर से बैंक में खुलवाये गये खाते में चेक के माध्यम से रुपया खाते में डालकर पुनः से मुंशी सिंह अपने साथ 20 असलहाधारी व्यक्तियों नाम पता अज्ञात के साथ अपहरण कर एवं सम्पूर्ण परिवार को बन्धक बनाकर घर के मुखियां को बैंक ले जाकर खोलवाये गये खाते से रुपयों को निकलवाकर निर्धन किसानो से रुपया ले लेना।विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी देना।कुक्कू टेक्कर व मुंशी सिंह के नापाक इरादो व बेजा हरकत से मौजे के निर्धन गरीब किसानो का जीना व गुजर

SP [illegible]

बसर करना, दुभर हो गया है। गरीब किसानो का सम्पूर्ण परिवार वर्तमान समय में भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है। यदि तत्काल प्रभाव से दोषी अपहरण कर्ता कुक्कू टेकर व मुंगी सिंह एवं उनके साथ आये 20 असलहा धारी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा अत्याचार व ताण्डव व अवैधानिक कृत्यो पर अंकुश नही लगवाया गया तो क्षेत्र के गरीब निर्धन किसान आत्मदाह व प्रधान तथा प्रधानगण आमरण अनशन पर जिला मुख्यालय पर बैठने को मजबूर होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार आपश्रीमानजी समेत शासन प्रशासन की होगी।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यगत बातों के आधार पर तत्काल प्रभाव से गरीब निर्धन किसानो को अपहरण व उनके परिवार वालों को असलहे के बल पर बन्धक बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक करवा के हुमा-ददरी खुर्द के किसानो के साथ हुए व हो रहे अन्याय को रोका जाय व उनका सम्पूर्ण हक वापस दिलवाया जाय। महान कृपा होगी।

दिनांक :-

प्रार्थी-

सदस्य जिला पंचायत
पधरी (खुर्द) मीरजापुर

प्रधान-ग्राम पंचायत
जिला-मीरजापुर

31-5-2012

नीलम देवी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत

41 अ०नि० श्यामकुमारी [illegible] - w.el.

J.P. Varma

अ०नि० छिद्दूलाल 46.

+ 23 अ०नि० भगवती Ramchandra [illegible]

पुनवासी 81 R. [illegible]

अ०नि० [illegible]लाल

24 अ०नि० गुलजारी - w.el.

[illegible] - 21 R. [illegible]

30 अ०नि० सुगनी - w.el.

अ०नि० रामपति + 31 R. [illegible]

अ०नि० राजकुमारी

अ०नि० रामचन्दर + 29 - R. [illegible]

33 Manju Bind अ०नि० मुन्नीदेवी

अ०नि० जगली + 16 Kuku [illegible]

अ०नि० राजेश

अ०नि० जनदेवी

अ०नि० मुख्यलाल + 50 R. [illegible]

अ०नि० आशादेवी

43 अ०नि० मालतीदेवी w.el.

अ०नि० शिवकुमार

19 - राजवती - w.el.

30 अ०नि० + रामजगा - Kuku [illegible]

अ०नि० गामा + 15 - Kuku [illegible]

Khata- 50, Ramchandar Maurya
S/c. Land
C-4

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559542

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा– [illegible] व उम्र 58 पुत्र/पत्नी [illegible]
निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।
शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हूँ।

दफा–2 यह कि वेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्कि औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि वेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरुद्ध थाना इलाका मड़िहान में झुठी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दवाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दवाव बनाकर व कुछ किसानों के विरुद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

NOTARY
Jr. Shankar Shukla
Dist. Head Quarter
MIRZAPUR
U.P.

26

[illegible]

presented the affidavit ...
before me on ... 11/12 ...
and I administered Oath to him who
is identified by ...
have satisfied my self by examining
... he understands of
... which were
... and ...

NOTARY
... Shukla
Dist. Head Quarter
MIRZAPUR
U.P.
MIRZAPUR

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

X Ramchandar Mauria S.C.L.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559550

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद— मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:— शिव चरन बिन्द व उम्र 38 पुत्र/पत्नी श्रीराम ..... निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है —

दफा—1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा—2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा—3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में झुठी मनगढ़न्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दवाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां

Shri Bhola Shukla
Notary
MIRZAPUR
U.P.

शिव चरन

[illegible] प्रसाद श्रीवास्तव
स्टाम्प वेन्डर
कचेहरी [illegible]

[illegible] presented the affidavit declaration
before me today at [illegible]
and I administered oath to him who
is identified by [illegible]
I have satisfied my self by examining
the [illegible] understands of
the [illegible] which were
[illegible] explained [illegible]

Jai Shankar Shukla
Distt. [illegible]

उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्रीऔने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

दफ़ा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांकः– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

X S.C.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559549

शपथ पत्र

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा– रामापति व उम्र 65 पुत्र/पत्नी– बबडू
...... निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।
शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि वेलस्पन कं० के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि वेलस्पन कं० के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में छुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां

Jai Shankar Shukla
Distt. Head Quarter
MIRZAPUR
U.P.
NOTARY
MIRZAPUR

रामापति

[illegible]

23/6/12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

…ossessed t…
…before me t…
and I admin…
…is identified b…
I have satisfied m…
…that he understand…
…ocation which w…

[illegible]

NOTARY
…Head Quarter
…PUR
U.P.

उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्रीऔने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म नें सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

शपथग्राही/शपथग्राहिणी

दिनांक:– 29.05.2012

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये Rs.10 TEN RUPEES Rs.10

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AB 523420

MIRZAPUR

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– ......[illegible]...... व उम्र ...60... पुत्र/पत्नी ......[illegible]......

...... निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट देकर बल्की औने.पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरुद्ध थाना इलाका मड़िहान में झूठी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर वेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां

Jai Shankar Shukla
Distt. Head Quarters
MIRZAPUR

3604/18 [illegible]

[illegible] लाल श्रीवास्तव स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी, मीरजापुर

[illegible]

[illegible] affidavit [illegible]
[illegible]
[illegible] him who
is identified by [illegible]
I have satisfied [illegible] by examining
[illegible]

Jai [illegible]
Distt. Head Quarter
MIRZAPUR
U.P.

उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फ़र्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्रीऔनें–पौने दामों को देकर करवा लेना।

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांकः– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

37

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559541

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– .... व उम्र......... पुत्र/पत्नी.........................

निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्कि औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में छुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने साजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

...ffidavit d...

...by about...

...ministered Oath as ...

...ntified by Shri ...

...ave satisfied me ...

...e be ... that ...

Jai Shankar Shukla

3

दफा 4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक 29.05.2012

MIRZAPUR
U.P.

शपथग्राही/शपथग्राहिणी

40

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES

रु. 10 Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559543

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– राम लाल [illegible] व उम्र 35 पुत्र/पत्नी [illegible]

निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्कि औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरुद्ध थाना इलाका मड़िहान में छुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरुद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

41

[illegible]

[illegible]

Deponent (?) [illegible]

presented the affidavit (?) [illegible]

before me today at [illegible]

and I administered oath to him (?) who

identified by Sri [illegible]

have satisfied my (?) self by examining (?)

that he understands (?) [illegible]

which read [illegible]

NOTARY

[illegible] Shukla

Dist. Head Quarter

MIRZAPUR

U.P.

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

Khata 38

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559548

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– [illegible] व उम्र [illegible] पुत्र/पत्नी [illegible] ...... निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखूबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैंक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में झुटी निराधार तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां

44

[illegible]

कचेहरी कचहरी, [illegible]

[illegible] ... identified by ... examining ... understands ... which ...

Dist. Head Quarter

MIRZAPUR

US

उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीनों की रजिस्ट्रीऔने–पौने दानों को देकर करवा लेना।

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:– 29.05.2012

शपथग्राही/शपथग्राहिणी

Khata 23 – Ram Chandar Maurya Sic. Lo

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559547

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ मत्र द्वारा:– भगवानी देवी बनवासी व उम्र 65 पुत्र/पत्नी स्व0 रघुबीर ...... निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनाना करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में छुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दवाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां

अंगूठा निशानी भगवानी देवी बनवासी
द्वारा ...

47

[illegible]

presented [illegible]

[illegible]

and I admin[illegible] who [illegible]

is identified by Shri. [illegible]

I have [illegible] my self by examining

the [illegible] he understands of

[illegible] which were

[illegible]

NOTARY

[illegible] Shukla

Dist. Head Quarter

MIRZAPUR

U.P.

उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरुद्ध फ़र्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्रीऔने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

भगवती देवी (हस्ताक्षर)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10 TEN RUPEES Rs. 10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559545

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– राम चन्द्र .... व उम्र 55 ...... पुत्र/पत्नी– राम ....

निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवां कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्कि औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र की अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरुद्ध थाना इलाका मड़िहान में छुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूर किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरुद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की र... औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... declaration ... ARE ...

... to him who ...

... identified by ...

... satisfied my self by examining ...

... that he understands ...

... which ...

NOTARY

... Head Quarter

MIRZAPUR

U.P.

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक 29.05.2012

शपथग्राही/शपथग्राहिणी

52

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

₹10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559546

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– .... व उम्र 75 पुत्र/पत्नी ....

निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरूद्ध थाना इलाका मड़िहान में झुटी मनगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरूद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

[illegible]

administered the

... ified by Shri ...

have satisfied my self by ...

the deponent that he understands ...

affidavit ... which were

... translated ...

[illegible]

... Head Quarter

...RZAPUR

U.P.

MI... UR

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

RZAPUR

SS

Ramchandra/ ... S.C

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 559544

शपथ पत्र

समक्ष,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– मीरजापुर।

शपथ पत्र द्वारा:– [illegible] व उम्र 70 पुत्र/पत्नी [illegible]
निवासी ग्राम सुखनई थाना मड़िहान तथा 84 परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है –

दफा–1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का निवासी है एवं हालात हलफनामा से बखुबी वाकिफ हैं।

दफा–2 यह कि बेलस्पन कं0 के वाईस प्रेसीडेन्ट कुक्कू टेक्कर द्वारा शपथग्राही समेत क्षेत्र के निर्धन अनपढ़ किसानों को व उनके परिवार को बंधक व आगवा कर ब्लैक मेल कर रजिस्ट्री आफिस में ले जाकर बैनामा करवा लेना एवं निर्धारित कंपनी का रेट न देकर बल्की औने पौने दाम को देना।

दफा–3 यह कि बेलस्पन कं0 के वाइस प्रेसीडेन्ट कुक्कु टेक्कर द्वारा खुद शपथग्राही समेत क्षेत्र के अन्य निर्धन अनपढ़ किसानों के विरुद्ध थाना इलाका मड़िहान में झुटी ननगढन्त तहरीर देकर थाना इलाका में राजनैतिक दबाव बनाकर व अपने राजीश में सामिल कर बेगुनाह मजदूरों किसानों को थाना इलाका की पुलिस से पुलिसियां उत्पीड़न करवाते हुए मासुम किसानों पर दबाव बनाकर व कुछ किसानों के विरुद्ध फर्जी संगीन मुकदमा अपराध कायम करवाकर किसानों को ब्लैक मेल कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री औने–पौने दामों को देकर करवा लेना।

MIRZAPUR

[illegible] before me [illegible]
and I admit [illegible] to him who
is identified [illegible] and
I have [illegible] self by examining
[illegible] understands of
[illegible] which were
[illegible] explained to
[illegible]

NOTARY
[illegible]
Civil Head Quarter
MIRZAPUR
U.P.

दफा–4 यह कि शपथ पत्र में वर्णित दफात 1, 2, व 3 मेरी व्यक्तिगत इल्म में सच व सही है इसमें कोई कथन छिपाई नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांकः– 29.05.2012

शपथग्राही / शपथग्राहिणी

58

D-1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदे

इकरारनामा

1. रमाशंकर सिंह,
2. कृपाशंकर सिंह,
3. शरणशंकर सिंह
4. जितेन्द्र बहादुर

   पुत्रगण–हरिद्वार सिंह
5. शांती देवी, पत्नी शरण शंकर सिंह,
6. सुष्मा सिंह पत्नी कृपाशंकर सिंह,
7. ममता पत्नी जितेन्द्र बहादुर

15/6/12

क्र संख्या 635
दिनांक 11.6.012
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प के ... पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि 10/-

रमेश कुमार मिश्र
लाइसेंस नं०-10
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 200[illegible] तक
दिवानी कचहरी, मीरजापुर

[illegible signatures]

ममता सिंह   इन्दू देवी   सुषमा देवी   शान्ती देवी

Sd, K.S. Pandey
11-6-12

[illegible handwritten notarial endorsement]
11/6/2012

NOTARY

8. इन्दू पत्नी रमाशंकर सिंह

9. प्रकाश बहादुर पुत्र कृपाशंकर

10. विकास बहादुर पुत्र रमाशंकर

समस्त निवासीगण—सिंहपुर, नौगरान, पोस्ट एवं थाना बबुरी, तहसील चन्दौली, जिला चन्दौली, उत्तर प्रदेश हाल मुकाम ग्राम पटेवर, तहसील मड़िहान, जिला मीरजापुर

.....................प्रथम पक्ष

एवम्

वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कुक्कू टेक्कर पुत्र स्व0 अमरनाथ टेक्कर निवासी—सी0—303, इन्द्रलोक लोखण्डवाला, अन्धेरी पश्चिम मुम्बई हाल निवासी द होटल ग्लैक्सी, रूम नं0—26, लालडिग्गी, मीरजापुर, शहर व जिला मीरजापुर, उत्तर प्रदेश

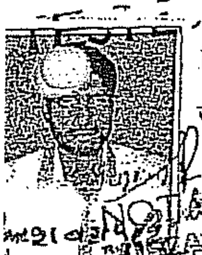

..................द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्षगण की भूमि ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में स्थित थी तथा द्वितीय पक्ष उसी ग्राम में एक 1320मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए उसे भूमि की आवश्यकता थी। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से भूमि विक्रय करने हेतु सम्पर्क स्थापित किया तथा प्रथम पक्ष ने विक्रय मूल्य मु0—1,61,83,999/—शब्दन एक करोड़ एकसठ लाख तिरासी हजार नौ सौ निन्नाबें रूपये लेकर द्वितीय पक्ष के हक में अपनी समस्त भूमि स्थित ग्राम ददरीखुर्द विक्रय करना स्वीकार किया। उभय पक्षों के बीच बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बजरिये पंजीकृत बैनामा भूमि का हस्तान्तरण हुआ। भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात उभय पक्षों के बीच कुछ मिथ्याबोध व गलतफहमी उत्पन्न हो गयी। इस गलतफहमी का फायदा

रमाशंकर सिंह   कृपाशंकर सिंह

श्यामशंकर सिंह

शान्ती देवी   गीता देवी   प्रकाश बहादुर सिंह

इन्दु देवी   सुषमा देवी

विकास बहादुर सिंह   ममता सिंह   Sd. K. S. Pandey

60

कुछ स्वार्थी तत्व उठाने लगे और उभय पक्षों के बीच गलतफहमी इतनी बढ़ गयी कि दोनों ही ओर से अनेका नेक मुकदमे एक दूसरें पक्ष के खिलाफ दायर किये जाने लगे।

पर इसी बीच चन्द प्रतिष्ठित व्यक्तियों यथा श्री प्रेम जी सिंह ग्राम दाढ़ी राम, डॉ0 शम्भूनाथ ग्राम नौगरहा, पो0 धनेजा, थाना बबुरी, जिला चन्दौली आदि के समझाने, बुझाने पर उभय पक्षों के बीच गलतफहमियॉ दूर होने लगी एवं अच्छी भावना उदय हुई एवं इस क्रम में अनेक बैठकें हुयी तथा उभय पक्ष आपस में मिलबैठकर सारी गलतफहमियॉ दूर कर लिये। अब इनके बीच कोई भी मनमुटाव या समस्या बाकी नहीं रह गयी है। प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्युत परियोजना में अपना सम्पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया एवं विकास के इस कार्य में सहभागी बनने की शपथ ली। उभय पक्षों ने आपस में यह भी तय किया कि आज से दोनों पक्ष किसी के बहकावें में आकर एक दूसरें के खिलाफ न तो कोई मुकदमा दायर करेंगे न ही कोई भ्रामक आवेदन ही देंगे। पूर्व में दिये गये आवेदनों पर बल भी न देंगे।

अतः यह इकरारनामा पढ़ पढ़वाकर सोच समझकर स्वस्थ्य मस्तिष्क से बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के तहरीर कर दिया कि सनद रहें व वक्त जरूरत काम आवें।

11-06-2012

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर

11-6-12

61

D-2

ददरी खुर्द पावर इकाई पर आरोपित करने वाले किसान मुकरे

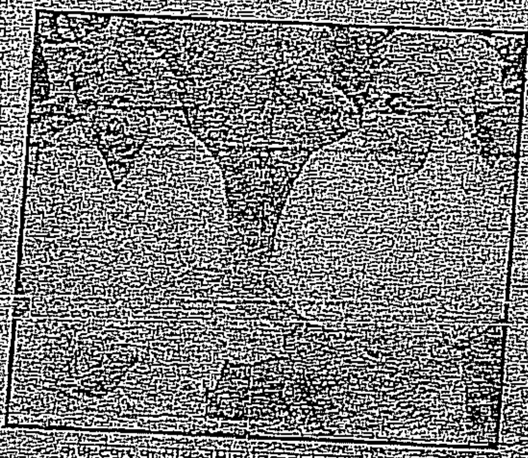

ददरी खुर्द में किसानों व पावर प्लांट का जमीनी विवाद पर समझौता

एलाटमेंट लेटर में मिली खामिया

Rolled Today

Taxation

62

D-2

ददरी खुर्द में किसानों व पावर प्लांट का जमीनी विवाद पर समझौता

63

संगम प्रवाह
इलाहाबाद, शुक्रवार, 04 मई 2012

भारतीय किसान यूनियन के प्रोत्साहन पत्र पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

■ किसान बने माफिया के खिलाफ जिलाधिकारी से किया गुहार, वेल्सपन कंपनी के पक्ष में

एन०सी०पी०

नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिक्षामित्रों के हक की लड़ाई लड़ेंगे

चित्रकूट। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशर्फी लाल

जिलापूर्ति अधिकारी व मातहतों की साँठगाँठ से मिट्टी तेल की हो रही कालाबाजारी

चित्रकूट। उ०प्र० शासन के मुख्य सचिव को भेजे गये ... अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया ... कोटेदार हैं जिन्हें माह नवम्बर ... 11 में 55 हजार 500 ली. मिट्टी

E-1

अपराधिक इतिहास

रामाज्ञा सिंह उर्फ शंकर शरण सिंह पुत्र स्व0 हरिद्वार सिंह हा0मु0 वटेवर थाना मड़िहान मीरजापुर। इस माफिया अपराधी के विरूद्ध निम्न मुकदमे कायम है।

1. रामाज्ञा सिंह उपरोक्त दिनांक 26.06.2010 को ग्राम ददरी जंगल में अपने कृषि फार्म हाउस पर दिन में 12 बजे अपने 12 अपराधी साथियों के साथ जहरीली शराब ओ0पी0 स्प्रिट से बना रहा था कि जिला अबकारी अधिकारी श्री लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी व उनकी टीम तथा थानाध्यक्ष मड़िहान श्री सत्येन्द्र कुमार व सहयोगी तथा पी0ए0सी0 बल के साथ छापा मारा गया तो 7 व्यक्ति मौके से पकड़े गये। जिसमे रामाज्ञा सिंह का भाई रमाशंकर सिंह उर्फ भोदू सिंह भी था रामाज्ञा सिंह मौके से फरार हो गया। मौके से जहरीली शराब बनाने के सभी उपकरण असलहे रायफल, कारतूस तथा लगजरी वाहन एवं 37 बोरीयो में 7400 पाउच तथा 272 डिब्बो में 13058 पलास्टिक की शीशी में जहरीली शराब, दो ड्रम में 400 लीटर स्प्रिट व अन्य सभी उपकरण बरामद हुए इसका मु0अ0सं0 598/10 धरा 60/63/72 एक्ट मु0अ0सं0 599/10 धारा 272/273/336/419/420 भादवि मु0अ0सं0 600/10 धारा 27/30 अर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 **NIL**/10 धारा 41/41 भादवि का थाना मड़िहान मीरजापुर में कायम किया गया जो सभी विवेचना की गई तथा बाद विवेचना आरोप पत्र **A-**166/10 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

गुण्डा एक्ट

2. रामाज्ञा सिंह उपरोक्त की अपराधिक हरकतो एवं माफियागीरी को देखते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष मड़िहान श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा

दिनांक 13.12.2010 को मु0अ0सं0 1049/10 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधि0 का मुकदमा कायम करनले चालानी रिपोर्ट डीएम महोदय मीरजापुर के न्यायालय में भेजा गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

3. दिनांक 23.10.2011 को कालिन्दी प्रसाद पुत्र बनवारी निवासी शाहपुर माफी थाना जमालपुर हा0 मु0 ददरी खुर्द थाना मड़िहान मीरजापुर में ने रिपोर्ट लिखवाई कि रामाज्ञा सिंह वगैरह ने उसकी जमीन फर्जी अभिलेख को तैयार करके तथा न्यायालय तहसीलदार सदर मीरजापुर की धोखे में रखकर अपने व अपने परिवार के नाम कर लिया, जिसका मु0अ0सं0 636/11 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भदवि का कायम हुआ जिसकी विवेचना की गई किन्तु अपने माफियागिरी के प्रभाव से मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगवा लिया।

4. मु0अ0सं0 207/12 धारा 332/504/506 भादवि व 3(1)(10) **SC/ST Act.** थाना मड़िहान मीरजापुर इस मुकदमे की विवेचना की जा रही है। उच्च न्यायालय द्वारा 21 दिन में न्यायालय में उपस्थित होने का अदेश दिया है।

5. **NCR No.** 67/12 धारा 506 भादवि थाना मड़िहान मीरजापुर दिनांक 15.05.2012 को डिप्टी जनरल मैनेजर वेल स्पन एनर्जी को जानमाल की धमकी दिया। वर्तमान समय में रामाज्ञा सिंह उपरोक्त अपने अपराधियो के साथ हिस्ट्रीशीटरो का एक गिरोह बना कर बेल स्पन एनर्जी जो 1380 मेगावाट का विद्युत पलांट ददरी मड़िहान मे लगाना चाहती है। उसको दबाव में लेकर अवैध धन गुण्डा/माफिया TAX की वसूली करना चाहता है। उपरोक्त अपराधिक इतिहास के बावजूद भी इसके पास कई लाईसेन्सी असलहे भी है। यह मूल रूप से बबूरी- चन्दौली का रहने वाला है। इसका सगा भाई रमाशंकर उर्फ मोनू भी मु0अ0सं0 819/10 धारा 2/3 UP Gangster Act थाना मड़िहान मे अपने साथियों के साथ जेल जा चुका है।

31/5/12

E-2

[illegible]

[illegible] 558/10 [illegible] 60/63/92 [illegible]

[illegible]

79/12
232/12 [illegible] 307/147/148 [illegible]
IPC

[illegible] 598/11 [illegible] 60/64/97 [illegible]

[illegible]

मु०अ०सं० 598/10 धारा 60/63/72 Ex. Act
मु०अ०सं० 599/10 धारा 147, 148, 336, 419, 420 [illegible]
831946
मु०अ०सं० 600/10 धारा 27/30 A. Act बनाम राजेन्द्र सिंह
[illegible]

न्यायालय के लिए [illegible] थाना [illegible] रूपापुर।

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

A 166
23-8-10

दण्ड विधि-संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना [illegible]
सब-डिविजन [illegible] रूपापुर
जिला [illegible]

दि० 26.6.2010
12.30 दिन

पटना को दिनांक व समय

(1) दिन व समय, जबकि रिपोर्ट [illegible] पुलिस स्टेशन से दूरी [illegible] पुलिस [illegible] रवाना होने का दिन

[illegible] 10 Km [illegible]

नोट–प्रथम सूचना [illegible]

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान [illegible]

[illegible]

(10) मुकेश सिंह उर्फ [illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ बाद में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर [illegible]
26.6.10

नोट—सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा [illegible]

[illegible]
मे 13 अदद प्लास्टिक शीशी शराब व दो प्लास्टिक के ड्रम मे करीब 400 लीटर ओपी स्प्रिट व [illegible] बण्डल कैरेट व एक बण्डल बड़ा नारंगी लिखा पाली फिल्म व 4 बण्डल छोटा व 3 बण्डल बड़ा इलायची लिखा पाली फिल्म मय शराब पाउचिंग मशीन व उपकरण व एक अदद गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर व एक अदद [illegible] का फिल्टर व एक अदद जेनरेटर, एक अदद बोलेरो नं० UP-64C-1016 एक अदद सेन्ट्रो कार नं० UP-63D-6566 एक अदद राइफल 315 बोर फैक्ट्री मेड मय दो अदद, जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद [illegible] की टंकी व 6 अदद प्लास्टिक के ड्रम आमागीन. धारा 60/63/72 Ex. Act, 272/273/336/419/420/41/411 IPC व 3/7 M.V. Act [illegible]

आज दिनांक 26/6/2011 को [illegible] [illegible] [illegible] 350 [illegible] 11 [illegible] 16/ [illegible] 2840 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निवासी रमाशंकर सिंह उर्फ भोदू सिंह के कृषि फार्म हाउस ददरी जंगल मे अवैध देशी नशीली शराब बनाने की चल रही फैक्ट्री पर समय करीब 10.30 से 11.00 A.M तक चोरी की बोलेरो व सेन्ट्रो कार वाहनो पर गलत नम्बर लगाकर

कुछ लोग शराब ले जाने वाले हैं । तत्परता से कार्यवाही
किया जाय तो शराब की फैक्ट्री वाहन व अपराधी
पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके
मुखबिर मुखबीरी हमराही अधिकारी कर्मचारी गण
को बताकर मुखबीर को साथ लेकर बड़ौली व कोठी
बरामदगी व गिरफ्तारी दबिश जंगल के लिए प्रस्थान
किया कि तहसील मझिहान के सामने जा रहे थे कि
श्री लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी, जिला आबकारी अधिकारी
श्री राम सजीवन आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 मीरजापुर
मय का० पंकज कुमार मालवीय, का० मो० फारुक वाहन
सरकारी से मय विशेष दबिश पर भ्रमण करते मिले
जिन्हें मुखबिर मुखबीरी बताकर साथ लिया गया
आसानाई रास्ते से मुखबिर बताकर गवाहान फराहम
करने का प्रयास किया गया परन्तु कोई तैयार नहीं
हुआ । जंगली पहाड़ी मार्ग से चलकर फार्म हाउस
उपरोक्त से करीब एक किमी पूर्व ही सरकारी वाहनों
को छोड़कर झाड़ियों की आड़ लेते हुए नजदीक
पहुँचने पर सीमेन्ट शीट से बने मकान के पास खड़े
बोलेरो व सेण्ट्रो वाहन को दिखाकर बताया कि
इसी मकान में अवैध जहरीली नकली शराब देशी
बनाने की फैक्ट्री लगी है । देखा गया कि पूर्वी दरवाजे
से उक्त वाहनों पर कुछ लोग शराब की पेटियाँ
रख रहे हैं कि मैं SO मय SI राम मिलन मय CL
पी.ए.सी. संदीप कुमार वर्मा व कर्मचारी P.A.C. व
आबकारी अधिकारी श्री एल. के. त्रिपाठी मय का०
पंकज कुमार मालवीय कर्मचारी P.A.C. के फार्म हाउस के
मुख्य गेट से पूरब दिशा से तथा SI -- मय का०
SI -- यादव, का० मनोज मिश्रा का० -- को
के पश्चिम दिशा और SI शिवधारी यादव का०
गोविन्द यादव, का० अनिल कुमार का० राम प्रीति यादव
एवं का० शमशेर सिंह व आबकारी निरीक्षक
श्री राम सजीवन मय का० मो० फारुक के उत्तर दिशा
से झाड़ियों की आड़ लेकर रणनीति बनाकर
बनाकर चलाकर घेर कर एक बारगी दबिश
दी गयी कि बाहर खड़े बोलेरो एवं सेण्ट्रो वाहन पर

...विधि-संग्रह की धारा
थाना
सब-डिस्ट्रिक्ट
जिला
संख्या
...समय, जबकि रिपोर्ट की गई
नोट—प्रथम सूचना देने वा... ...पदाधिकारी के ह...
...देने वाले या वादी का नाम व निवास-स्थान
अभियु...
नोट—सूचना देने वाले को

पेटियों को रख रहे शराब को व्यक्ति हम पुलिस वालो
को देखकर पेटियां गाड़ी मे फेंक कर भागकर अपने
अपने वाहनो मे बैठकर स्टार्ट कर भागना चाहे कि
मु0 इ0 कार / बोलेरो तथा प्र0 राम मिलन व हमराहियों
के व्यक्तियों को मौके पर गाड़ियों मे ही पकड़ कर
हमराहियों को निगरानी मे देकर अन्य पुलिस
पार्टियों के फोर्स के साथ साथ चल रही फैक्ट्री की
बाउण्ड्री के अन्दर घुसे कि कुछ व्यक्ति अपने अपने
कन्धे व सिर पर रखे शराब की बोरियों व
पेटियों को लेकर कमरे से बाहर आ रहे थे कि हम
पुलिस वालों को देखकर सकपकाकर बोरी
व पेटियां मौके पर फेंक कर टूटे हुए बाउण्ड्री की
ओर से बाहर कूद कर झाड़ियों का फायदा उठाकर
जंगल मे भाग गये। तथा दो व्यक्ति खाली [illegible]
मे शराब भरकर पाउचिंग मशीन से पाउचिंग
करते हुए पाउच की शराब के साथ तथा तीन व्यक्ति
पाउच शराब की बोरियों मे रखकर बण्डल बनाते
व प्लास्टिक की शीशीयों को गत्ते मे रखकर
पेटी बनाते हुए मौके पर पकड़ लिए गये पकड़े गये
व्यक्तियों का क्रमशः नाम पता पूछते हुए बकायदा
बाजाब्ता सख्स हमराहियान जामा तलाशी ली गयी
तो बोलेरो से पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम
रविन्द्र सिंह पु0 अमर नाथ सिंह नि0 कुसेहटा थाना चुनार
जि0 मीरजापुर बताया कि इसके कब्जे से एक अदद
बोलेरो नं0 UP 64 C 1016 मे रखी 25 पेटी ओमेगा
बाड मार्का शराब व चालक की सीट के पास एक
अदद राइफल 315 बोर नं0 AB 002694 फैक्ट्री मेड
तथा मैगजीन निकाल कर देखने पर मैगजीन के अन्दर
दो अदद जिन्दा कारतूस जिनके पेंदे पर 8 mm KF
लिखा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध मे अभियुक्त
पत्र कागज आदि नही दिखा सका। सैन्ट्रो कार
UP 63 D 6566 से पकड़े गये व्यक्ति ने अपना
नाम राजन सिंह पटेल पु0 विमल सिंह पटेल, नि0
भाँवा, थाना अहरौरा मीरजापुर बताया। जिसके कब्जे
से सेन्ट्रो कार मे रखी 15 पेटी जेमन ब्राण्ड मार्का
शराब बरामद हुई। पाउचिंग करते
व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम

मिजामी बनवासी पुत्र लालता जी बनवासी R/o मेंहदीगंज PS रोहनियाँ वाराणसी बताया जो पानी मिला के 200 ML के बर्तन से फिल्टर से शराब निकालते कर भरते हुए पकड़ा गया। ऽसरे ने अपना नाम मदन मौर्य पु० ~~छैल मौर्य पुत्र गणेश गंज को० उर्फ टास पाउचिंग मशीन~~ को गैस सिलेण्डर से गर्म करते हुए पाउच की सील करते पाउचिंग की मशी 200 पाउच पास रखा बरामद हुआ। पाउच को बोरियो में शिशियों को पेटियों मे रखते पकड़े गये तीन व्यक्तियों में से एक का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रमाशंकर उर्फ भोदू सिंह पु० स्व० हरिहर सिंह R/o पटेर PS गडिहान मीरजापुर जिसके कब्जे से 30 बोरियो की प्रत्येक बोरीयो मे 200 पाउच जिसमे 13 नारंगी मार्का देशी शराब व 17 बोरियो मे ऽ/ार 2003 उत्पाद मसालेदार शराब इलायची मार्का बरामद हुआ। अगला ने अपना नाम शंकर यादव पु० राम अचल R/o लौहर कला PS कोठदेहात मीरजापुर बताया जिसके कब्जे से गत्ते की 126 पेटियो मे 6048 शीशी जेम्स ब्राण्ड मार्का शराब बरामद हुई। अगले व सातवे व्यक्ति ने अपना नाम सन्तोष गौड़ पु० स्व० किशुन गौड़ R/o रमई पट्टी PS कोत० शहर मीरजापुर बताया जिसके कब्जे से गत्ते 100 पेटियों मे 4800 शीशी जेम्स ब्राण्ड मार्का शराब बरामद हुई। पकड़े गये उपरोक्त व्यक्तियों से शराब की पेटियों व बण्डलों को फेंक फेंक कर भागने वाले व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर उपरोक्त सभी ने बताया कि भागने वाले व्यक्ति गुड्डू सिंह पु० अमर नाथ सिंह R/o कुशहा PS चुनार मीरजापुर, रामाज्ञा सिंह पु० स्व० हरिहर सिंह R/o पटेर PS गडिहान मीरजापुर मुकेश सिंह उर्फ कटारी सिंह R/o ~~नन्दपुर~~, PS कोठदेहात विनोद सिंह पु० अज्ञात R/o बजहाँ PS कछवाँ मीरजापुर उमा शंकर सोनकर पु० शिव नाथ सोनकर R/o साहिबपुर PS कोत० शहर मीरजापुर बताये। तथा बताये कि इस फैक्ट्री का संचालक गुड्डू सिंह, मुकेश सिंह उर्फ कटारी सिंह व रामाज्ञा सिंह उपरोक्त द्वारा किया जाता है। हम सभी लोगों से [illegible] बनाने, रखने व व्यापार करने की

अपराध तिथि–समय की
दावा
प्रकाशित
जिला
संख्या
तांक व समय, जफिक रि की गई
प्रथम सूचना वाले पदाधिक
सूचना देने वाले वादी का नाम व निवास स्थान
प्रथम सूचना पृष्ठ
नोट—सूचना देने

के व वाहनों के कागजात मांगे गये तो नहीं दिखा सके तथा अपनी गलती की माफी मांगने लगे तथा अभियुक्तों ने बताया कि जो नकली रैपर के बण्डल यहां पड़े हैं इनमें हम लोग ओ.पी. स्प्रीट से अवैध शराब बनाकर भरते हैं व असली के रूप में नकली शराब का व्यापार करते हैं। मौके पर रखे दो ड्रमों की ओर इशारा करते हुए बताया कि इनमें ओ.पी. स्प्रीट भरा है। तत्पश्चात फैक्ट्री की तलाशी समक्ष हमराहियान ली गयी तो भागे हुए अभियुक्तों द्वारा फेंका गया एक पेटी एवं 6 बोरी प्रत्येक बोरी में 200 पाउच व प्रत्येक पेटी में 48 शीशी शराब, दो ड्रम में करीब 400 लीटर ओ.पी. स्प्रीट, 6 खाली ड्रम प्लास्टिक व एक वाटर टैंक प्लास्टिक 1000 ली० की एक अदद पाउच फिलिंग मशीन मय एक अदद गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर व पाइप के, एक अदद एल्कोहलो मीटर, एक अदद बीकर जिस पर ML No. पड़े हैं। एक अदद फिल्टर मशीन स्टील की, एक अदद बाल्टी प्लास्टिक की, एक अदद कीप प्लास्टिक, एक अदद 200 ML का एल्युमीनियम का नपना, एक बण्डल बड़ा नारंगी मार्का ढक्कन करीब 16 Kg व 8 बण्डल छोटा नारंगी मार्का ढक्कन करीब 8 Kg तथा 3 बण्डल बड़ा ढक्कन करीब 16 Kg प्रत्येक व 4 बण्डल छोटा ढक्कन करीब 8 Kg प्रत्येक और रायल इनाम लिखा इलायची मार्का पन्नी फिल्म, एक प्लास्टिक की बोतल में करीब 50 ML Orange Sweet लिखा हुआ तरल पदार्थ बरामद हुआ जिसके विषय में बताया गया कि यह शराब का रंग व स्वाद बदलने में प्रयुक्त होता है। तथा एक अदद जनरेटर 5 KVA, 220 Volts Atul Power AC सीरियल नं० 2552002 बरामद हुआ। उपरोक्त बरामद शराब उपकरण व कैमिकल पन्नी फिल्म आदि का साथ में आये आबकारी अधिकारी/निरीक्षक द्वारा नियमानुसार निरीक्षण करने के पश्चात बताया गया कि यह अवैध जहरीली नशीली शराब निर्मित करने की फैक्ट्री है व बरामद शराब अवैध रूप से निर्मित है। अभि० गण उपरोक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा

—/

60/63/72 Ex. Act. व 272/273/336/419/420 IPC का अपराध बनाकर तथा अभि० रविन्द्र सिंह उपरोक्त का अपराध 41/411 IPC 27/30 Arms Act व अभियुक्त रजत सिंह का यह केस अन्तर्गत धारा 41/411 IPC व इन दोनों के वाहनों के कोई कागजात न दिखाने से अन्तर्गत धारा 207 M.V. Act का संज्ञेय अपराध बनाकर मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए मौके पर समय करीब 12.30 बजे दिन अभियुक्त गण उपरोक्त को हिरासत पुलिस में तथा बरामद शराब व सामान को उसी जगह एकत्रित करके बतौर नमूना माल दोनों ब्रांड के 10-10 पाउच व शीशी की 10 शीशी जमस ब्रांड शराब निकालकर एक बोरी में रखकर तथा इनमें एक प्लास्टिक की बोतल में ओ० पी० स्प्रिट का एक बोतल निकालकर अलग-अलग व बरामदा नकली रैपर्स होलोग्राम स्टीकर व कैप को एक कपड़े में रखकर कागज [illegible] से निकालकर अलग कपड़ों में रखकर मौके पर सीलकर सर्व मोहर कर नमूना मुहर व गिरफ्तारी मेमो तैयार कर आयन्दा कब्जा पुलिस में लेकर फर्द मौके पर ही S.I. श्री [illegible] से बोलकर लिखाकर, पढ़कर, सुनाकर गवाहान सभी के आमलात बनाये जा रहे हैं। बोरियों का मुँह उसी तरह से रस्सी से बाँधकर सर्व मुहर करके नमूना मुहर तैयार किया गया तथा पेटी का माल उसी तरह रखे गये। गिरफ्तारी की सूचना मुल्जिमान के परिवार वालों को उनके सही मोबाइल नम्बरों पर दी जा रही है। मौके पर कुछ लोग एकत्र हो गये जिनसे गवाही के लिए कहा गया तो बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये। अलग-अलग ब्रांड की खाली शीशी को अलग-अलग ब्रांड बोरियों में भरकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। नकल फर्द अभियुक्त गण को अलग-अलग दी जा रही है। Sd अंग्रेजी में अपठनीय S.O. [illegible]

74

26/6/10 Sd राम निवास दि. 26.6.10 Sd आपराधिक चैकिंग
कोतवाल दि. 26/6/10 Sd का० 2456 अनिल कुमार Sd आपराधिक
राम स्वरूप 26/6/10 आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 मीरजापुर
Sd का० मनोज मिश्र Sd आबकारी [illegible] क्षेत्र-2
कुमार मीरजापुर Sd प्र० आबकारी अ० सिंह क्षेत्र-2 कुमार
मीरजापुर Sd रमाशंकर सिंह Sd राजन सिंह Sd रविन्द्र सिंह
Sd सन्तोष सि० का० श्रवण सिंह, सि० का० मदन कोली
सि० का० विजयी Sd का० 804 [illegible] Sd का० [illegible]
Sd का० मनोज कुमार मिश्रा Sd का० राम हरि Sd का० गोविन्द
माधव Sd रविन्द्र कुमार वर्मा CC Sd HCP शिवराज सिंह
Sd HCP [illegible] Sd HK आनन्द पाल Sd HK -
राजकुमार Sd का० राम नरेश सिंह Sd का० राम मोहन सिंह
Sd का० [illegible] सिंह Sd का० प्रमोद कुमार Sd का० राजन
कुमार नोट- नकल फर्द अभियुक्त [illegible] को [illegible]
दी गई। Sd अंग्रेजी में [illegible] सन्तोष कुमार थानाध्यक्ष
थाना अदलहाट मीरजापुर 26.6.10 Sd राजन सिंह Sd रमा-
शंकर सिंह Sd रविन्द्र सिंह Sd सन्तोष सि०का० श्रवण सिंह
सि०का० मदन कोली सि०का० विजयी Sd [illegible]।

नोट- प्रमाणित किया जाता है कि फर्द की नकल [illegible]
[illegible] पर [illegible] अंकित है।

[illegible]
PS अदलहाट [illegible]
दि० 26.6.10

क्र०संख्या	प्रि०सूचना	विवरण	घटना स्थल	वादी	प्रतिवादी	निरीक्षक	परिणाम
भिन्न-२ समय भिन्न-२	31-12-10 समय 22.45 बजे	गुण्डागर्दी से जनता में आतंक व भय व्याप्त करना	भिन्न-भिन्न	श्री सत्येन्द्र कुमार थानाध्यक्ष-मड़िहान मीरजापुर	रामा बा सिंह पु० स्व० हरिहर सिंह सा० पटेवर थाना मड़िहान-मीरजापुर	SO श्री सत्येन्द्र कुमार..	चालान 31-12-10

(अपठनीय हस्ताक्षर)
ना: इहान
30-5-12

E-4

मु० अ० सं० 636/11 धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 352 भा०द०वि०
थाना - अहरौरा जनपद मीरजापुर

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
न्यायालय/वादी/कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

बुक संख्या
पृष्ठ संख्या

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना अहरौरा
जनपद मीरजापुर
125/11
B-32
10/12/11

घटना का दिनांक व समय 23/10/11

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से चले जाने का दिनांक
23/10/11 19:30 PM	बकरसंगा 10 Km उत्तर	

प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध जो किया गया और माल जो ले जाया गया (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना में दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible] मीरजापुर	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible]	धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 352 भा०द०वि० विवरण - [illegible]	[illegible]	विवेचक S.I. [illegible] थाना अहरौरा मीरजापुर

Sd/- 23/10/11

हस्ताक्षर
पता

रिपोर्ट पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

जी०पी० (आ०) 1 पुलिस 3-10-07--85000 (कम्प्यूटर/आफसेट)

[illegible] नकल चिक पर

[illegible] अनिल कुमार
23/10/11
आरक्षी

77

न्याय दरकार हत्या बाबत

सेवा में, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना [illegible] जिला [illegible]

प्रार्थना पत्र आप कामिनी प्रसाद पुत्र बनवारी निवासी शाहपुर [illegible] थाना [illegible] हाल मुकाम दत्तो खुर्द थाना [illegible] जिला [illegible] बनाम (1) आली देवी पुत्री [illegible] प्रसाद (2) सुषमा देवी पुत्री [illegible] (3) [illegible] देवी पुत्री [illegible] (4) [illegible] पुत्री [illegible] सिंह (5) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह [illegible] निवासीगण [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible] हाल मुकाम दत्तो खुर्द थाना [illegible] जिला [illegible] है कि प्रार्थी ने [illegible] देवी पत्नी [illegible] [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible] से दिनांक 30-1-1971 को [illegible] [illegible] श्रीनाथ पुत्र [illegible] [illegible] आदि से दिनांक 3.7.71 को आराजियात स्थित मौजा दत्तो खुर्द तप्पा 84 परगना [illegible] जिला [illegible] का बैनामा कराया बैनामा के दिन से बैनामा वाली आराजियात [illegible] दखील है तथा आराजी [illegible] आदि पर [illegible] [illegible] नाम भी कागजात माल में दर्ज है तथा [illegible] से काश्त करता चला आ रहा है, इससे विपक्षीगण [illegible] [illegible] या कब्जा दखल न कभी था न आज है। विपक्षीगण बहुत ही चालाक [illegible] सरकार [illegible] किस्म के [illegible] है तथा एक [illegible] [illegible] किए है। विपक्षीगण नं. 1 [illegible] प्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] रविन्द्र [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। विपक्षीगण नं. 5 विपक्षी सं. 5 के [illegible] [illegible] [illegible] समझौता पत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थी व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रविन्द्र [illegible] व [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर फर्जी हस्ताक्षर [illegible] फर्जी [illegible] समझौता [illegible] [illegible] 904/315 दिनांक 16-2-10 [illegible] [illegible] [illegible] समझौता के आधार प्रार्थी व [illegible] [illegible] रविन्द्र [illegible] [illegible] कागजात माल से [illegible] [illegible] उस पर विपक्षी सं. नं. 4 [illegible] अपना नाम [illegible] [illegible] किया। पता चलने पर प्रार्थी ने [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र दिया। [illegible] [illegible] फर्जी [illegible] की जानकारी होने पर प्रार्थी [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] मुकदमा नम्बर 312/904/537 दिनांक

[2]

28.3.11 स्टाए आदेश दिनांक 16-2-10 निरस्त कर दिया गया। विपक्षीगण । ता 5 अक्सर प्रार्थी व अन्य खातेदारों को मुकदमा उठालेने को कह रहे हैं तथा मुकदमा न उठाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह प्रार्थी अपने खेत को जोतने लगा तभी विपक्षी रामाश्रय सिंह के ललकारने पर विपक्षीगण प्रार्थी को मारने दौड़ाए तथा कहे कि साले अगर खेत पर आओगे तो तुम्हें जान से मारकर नाले में फेंक देंगे कोई पता नहीं पायेगा। प्रार्थी उनके डर से शोर करता हुआ भागा तथा उनसे बचकर किसी प्रकार भागकर आकर घटना की सूचना श्रीमान जी को दे रहा है, घटना को वहां पर उपस्थित बहुत से लोगों ने देखा व बीच बचाव किया तब किसी प्रकार प्रार्थी की जान बची। श्रीमान जी विपक्षीगण एक फर्जी पारिवारिक समझौता के आधार पर प्रार्थी व अन्य खातेदारों के जगह इन्दोस्त्र खड़ा कर फर्जी हस्ताक्षर व बयान कराकर प्रार्थी व अन्य खातेदारों की भूमि गैर कानूनी ढंग से हड़पना चाहते हैं जो एक कानूनी अपराध है तथा प्रार्थी व अन्य खातेदार अपने ही खेत की जुताई बुआई नहीं कर पा रहे हैं जिससे प्रार्थी व अन्य खातेदारों का जान माल का खतरा बना हुआ है, किसी भी समय संगीन वारदात हो सकती है। प्रार्थना अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की एफ० आई० आर० दर्ज कर विपक्षीगण के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। ह० प्रार्थी कालिन्दी प्रसाद दिनांक 23.8.11 ।

नोट :- मैं का० प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल चीक रपट पर अक्षरशः अंकित किया गया।

ह० अनिल कुमार
23/10/11
थाना · अहिरौरा
जनपद · मीरजापुर ।

दण्ड तिथि
नियुक्ति
दिनांक व समय, जब ... की गई
सूचना देने वाले के ... होनी चाहिए।
सूचना देने वाले या ... का नाम व निवास स्थान
सूचना पृष्ठ भाग में लिख
... देने वाले का हस्ताक्षर
यू0पी0 (बा0) 1 पुलि

मु०अ०सं० 307/12 धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)10 SC/ST Act
[illegible]

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
न्यायालय/वादी/कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

बुक संख्या
पृष्ठ संख्या

दण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

नाम [illegible]

पद की नियुक्ति [illegible]

जिला [illegible]

संख्या [illegible]

घटना का दिनांक व समय [illegible]

023038

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
16-5-12 [illegible]	[illegible] 16 कि०मी० [illegible]	[illegible]

नोट— प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना में दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible] 323/504/506 [illegible]	[illegible]	[illegible]

80

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, मीरजापुर

प्रा0पं0सं0 सन्

प्रार्थना पत्र द्वारा महेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल निवासी मु0–तरकापुर, थाना कोतवाली शहर, जिला मीरजापुर।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर स्थित भूमि का पंजीकृत बैनामा कराया है और क्रयशुदा भूमि पर काबिज दखिल हैं। दिनांक–04.05.2012ई0 को समय करीब सुबह 9.00बजे प्रार्थी अपने क्रयशुदा भूमि स्थित ग्राम ददरीखुर्द उक्त को देखने के लिए गया था जहाँ पर रामाज्ञा सिंह उर्फ शरणशंकर सिंह, निवासी ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा 84, पर0 कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर ने प्रार्थी को देखा और माँ बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए कहाँ कि साले यहाँ पर जो भी है मेरा है, यहाँ से भाग जाओ, जब प्रार्थी ने आपकी क्रयशुदा भूमि का दस्तावेज बैनामा दिखाया तो उसे देख कर रामाज्ञा सिंह उक्त ने कहा कि अच्छा साले तुम चमार हो, हम अपने जिते जी तुम चमार सियार को यहा नहीं रहने देंगे जब प्रार्थी ने कहा यह तो अन्याय है। इस बात पर रामाज्ञा सिंह उक्त काफी भड़क गये और हम प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए हम प्रार्थी का गला पकड कर दबाने लगे और बोले की शुद्र साले जबान लड़ाते हो हम यहाँ के माफिया हैं। अभी गला दबाकर जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थी जान बचाने के लिए चिल्लाया तो शोर गुल सुनकर वहाँ अवधेश सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह व फारूक पुत्र मो0 रफीक पहुँच गये और बीच बचाव कर प्रार्थी की जान बचाई। रामाज्ञा सिंह ने जाते जाते साले चमार, शुद्र जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी को काफी अपमानित किया और माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दिया, और कहाँ साले यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो इसी ज़मीन में खन कर गाड़ देंगे। प्रार्थी रामाज्ञा सिंह उपरोक्त के इस कृत्य से काफी परेशान और भयभीत है, प्रार्थी ने उसी दिन थाना मड़िहान जाकर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी तब आज प्रार्थी उक्त घटना के बावत श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हैं। उक्त घटना के बावत विपक्षी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष मड़िहान को निर्देशित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि रामाज्ञा सिंह उर्फ शरणशंकर सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह उक्त के विरूद्ध उक्त घटना के प्रकाश में सम्यक धाराओं में प्राथिमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष मड़िहान जिला मीरजापुर को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकी प्रार्थी अपने जान, माल, परिवार व अपनी जमीन की रक्षा कर सके।

दिनांक :15.05.2012

प्रार्थी

82

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय

मीरजापुर।

E-18

महोदय,

हम प्रार्थीगण ग्राम ददरी खुर्द, तहसील सदर परगना कंतित, तप्पा-84 जिला-मीरजापुर के निवासी है तथा अपनी अपनी जमीन पर कास्त करते हुए किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। महोदय हम लोगों को किसी प्रकार मालुम हुआ है कि कोई कम्पनी आया है जो ददरी खुर्द में पावर हाउस बनाना चाह रही है लेकिन इसके लिए जमीन की खरीदी सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा न लेते हुए, दलालों के माध्यम से जमीन खरीदना चाहती हैं दलाल लोग हम किसानों को अनेकों प्रकार की धमकी देकर जोर जबरजस्ती से जमीन बेचने के लिए श्री मुंशी सिंह आदि दलालों को लगाया है।

महोदय सभी दलाल मिलकर हमलोगों से एग्रीमेन्ट करा रहे है तथा जो तैयार नहीं हो रहा है उन लोगों के जमीन को सरकारी महकमें में तैनात नायब तहसीलदार (पहाड़ी) के माध्यम से निररत किया जा रहा है तथा फर्जी लोगों से एग्रीमेन्ट कराकर जमीन खरीदने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय दलाल लोग जिस रेट से जमीन का सौदा कर रहे है उस रेट से भारत के किसी कोने मे जमीन उद्योग लगाने के लिए नहीं ली जा रही है। ददरी खुर्द में जमीन का एग्रीमेन्ट 20000/- से 22000/- रूपये प्रति बीघा कराया जा रहा है।

श्रीमान् इन बातो से क्षेत्र की जनता तथा किसानों में रोष व्याप्त होता जा रहा है किसी भी समय भयानक विवाद का रूप धारण कर सकता है।

अतः आपसे तथा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की जमीन उचित मुआवजे पर लिया जाय तथा विस्थापन की समस्त सुविधायें दी जाय। इन बातों को ध्यान में रखकर जमीन ली जाय। हम सभी किसान इस परियोजना का स्वागत करेंगे नहीं तो परियोजना नहीं लगने देंगे।

प्रेषित प्रतिलिपि-

1. राष्ट्रपति भारत सरकार।
2. प्रधानमंत्री भारत सरकार
3. उर्जा मंत्री भारत सरकार।
4. मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार।
5. उर्जा मंत्री उ0प्र0 सरकार।
6. मुख्यसचिव उ0प्र0 सरकार।
7. मानवाधिकार आयोग उ0प्र0।
8. पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
9. उप जिलाधिकारी सदर, मीरजापुर।
10. वेलस्पन एनर्जी तीसरी मंजिल प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली।
11. मण्डलायुक्त, मीरजापुर

प्रधान - ग्राम पंचायत - ददरी खुर्द, जिला - मीरजापुर

प्रार्थीगण

रामभवन सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रमाशंकर सिंह

ममता

इन्दु

सुषमा

शान्ती

राजभवन

सन्तराम

गुलजारी

हीरालाल पुत्र प्रधान (सुखनंद)

विजय [illegible] 10 शिवपूजन

त्रिलोकी बहादुर

अ०नि० मालती

अ० दशरथ चमार

अ० राजवती चमार

अ० नरेन्द्र

प्रकाश बहादुर सिंह

अखिलेश कुमार सिंह

अ०नि० राघवेन्द्र प्रताप सिंह

अ०नि० रामधारी सिंह

अ०नि० [illegible] सिंह

अ०नि० इन्द्रजीत सिंह

एक सौ रुपये Rs. 100 ₹ 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-19

AU 251 47

सेवा में,

श्री कुक्कू टेक्कर,
वाइस प्रेसीडेन्ट एवं अधिकृत प्रतिनिधि,
वेलेस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राइवेट लिमिटेड,
मीरजापुर।

विषय--ग्राम--ददरीखुर्द, तप्पा--84, परगना--कंतित, तहसील--सदर, जिला मीरजापुर स्थित भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके साथ अनेकानेक बैठकों, वार्तालाप एवं बिन्दूवार चर्चाओं के उपरान्त हम अपने ग्राम ददरीखुर्द उपरोक्त स्थित भूमि स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के आपकी कम्पनी को विक्रय करने हेतु पूर्णतया तैयार हैं। हमारे एवं हमारे परिवार के जिसके हम मुखिया एवं कर्ता हैं की भूमि की सूची जिसे विक्रय किया जा रहा हैं, संलग्न हैं।

हमें पूर्व में यह ज्ञात नहीं था कि उपरोक्त ग्राम की भूमि में क्या होने जा रहा है। पर अब हमें पूर्णतया ज्ञात हो चुका है कि उक्त भूमि में एक वृहद विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे न केवल हमारे ग्राम का ही वरन् हमारे पूरे जनपद एवं प्रान्त का भी विकास होगा एवं हमारा देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। हम और हमारा परिवार इस विकास में सहभागी बनना चाहते हैं एवं उक्त विद्युत परियोजना में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहते हैं उक्त परियोजना की स्थापना के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक

E-10

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

08062012
D D M M Y Y Y Y

PAY Kripa Shankar Singh

रुपये RUPEES One Lac Ninety seven Thousand Two Hundred Twenty Five Only — या धारक को ~~OR BEARER~~

खाता सं. A/c No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

अदा करें ₹ 197225/-

249640

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

Anuragchokhani

Authorised Signatory(ies)

FDT

"249640" 000024000:

29

प्राप्त किया कृपाशंकर सिंह

9,

E-11

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

0 8 0 6 2 0 1 2
D D M M Y Y Y Y

PAY Sharan Shankar Singh या धारक को ~~OR BEARER~~

रुपये RUPEES One Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Twenty Five Only अदा करें ₹ 197225/-

खाता सं. A/c. No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

249641

Anurag Chokhani

FDT

Authorised Signatory(ies)

⑈249641⑈ 000024000⑆ 29

[illegible handwritten Hindi note] 21/07/12

E-12

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

08062012
D D M M Y Y Y Y

PAY Jitendra Bahadur

रुपये RUPEES One Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Twenty Five Only या धारक को ~~OR BEARER~~

अदा करें ₹ 197225/-

खाता सं. A/c.No 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

Anuragchokhani

FDT

Authorised Signatory(ies)

⑈214964⑈ 000024000⑆ 29

जितेन्द्र बहादुर

94

विक्रय मूल्य का प्राप्त रसीद

हम रमाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह, शरणशंकर सिंह एवं जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्रगण ह सिंह निवासी पता(स्थायी)–निवासी–सिंहपुर, नौगरान, पोस्ट एवं थाना बबुरी, तहसील चन्दौली, चन्दौली, स्थित ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा–84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में रकबा पॉच वृक्ष जिसमें तीन नीम, एक बेल तथा एक इमली एक कुऑ मयजगत तथा हैण्डपम्प जि विवरण बैनामा दस्तावेज दिनांक 11.06.2012 में दिया गया हैं, वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटे हक में बजरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक–11.06.2012 द्वारा विक्रय कर दिया है, तथा सम्पूर्ण f मु0–7,88,900/–शब्दन–सात लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ रूपये मात्र बजरिये क्रमशः सं0–249638, 249640, 249641 व 249642 दिनांकित 08.06.2012 पंजाब नेशनल बैंक ब बदलीकटरा, मीरजापुर के माध्यम से वेलस्पन इनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त से प्राप्त कर है। अब विक्रय मूल्य के बावत कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया हैं।

रसीद लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

दिनांक : 11.06.2012

सधन्यवाद

हस्ताक्षर

E-14

278955

बड़ी कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

08 11 2011
D D M M Y Y Y Y

PAY कृपाशंकर सिंह

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES सोलह लाख अन्ठानवे हज़ार एक सौ सत्तर मात्र

अदा करें ₹ 1698170/-

खाता सं० A/c. No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

New Account

Anurag Chokhani

Authorised Signatory(ies)

FBG

⑈278955⑈ 000024000⑆

29

प्राप्तकर्ता
कृपाशंकर सिंह
14-11-11

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

बड़ी कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

08 11 2011
D D M M Y Y Y Y

PAY रमाशंकर सिंह

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES सोलह लाख अन्ठानवे हज़ार एक सौ सत्तर मात्र

अदा करें ₹ 1698170/-

खाता सं० A/c. No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

New Account

Anurag Chokhani

Authorised Signatory(ies)

प्राप्तकर्ता
रमाशंकर सिंह
14-11-11

FBG

278954

⑈278954⑈ 000024000⑆

20

E-15

बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

D D M M Y Y Y Y

PAY जितेन्द्र बहादुर या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES सोलह लाख अन्ठानबे हजार एक सौ सत्तर मात्र —

अदा करें ₹ 1698170/-

खाता सं. A/c. No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

New Account

Authorised Signatory(ies)

FBG

278957

⑈278957⑈ 000024000⑆ 29

प्राप्त किया
जितेन्द्र बहादुर सिंह
14-11-11

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

08112011
D D M M Y Y Y Y

PAY शारदा शंकर सिंह या ~~धारक को OR BEARER~~

रुपये RUPEES सोलह लाख अन्ठानबे हजार एक सौ सत्तर मात्र —×—

अदा करें ₹ 1698170/-

खाता सं. A/c. No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

New Account

Authorised Signatory(ies)

FBG

278956

⑈278956⑈ 000024000⑆ 29

प्राप्त किया
शारदा शंकर सिंह

97

Date	Seller Name / Land Owner	Sale Deed With	Khata No.	Area in Bigha	Purchase Rate/Bigha	Amount Paid to Seller / Land Owner Ch No / date	Total
8-Nov-11	RamaShanker, KripaShanker, Saran, Jitendra Bhadur Singh	RamaShanker, KripaShanker, Saran, Jitendra Bhadur Singh	1	234.99	68,872	Ch no 278954, 278955, 278956, 278957 date 08/11/2011 (equal Amt)	16183999
8-Nov-11	Prakash Bhadur	Prakash Bhadur	3 to 9			Ch No . 278958 date 08/11/2011	
8-Nov-11	Vikash Bhadur	Vikash Bhadur	3 to 9			Ch No . 278959 date 08/11/2011	
8-Nov-11	Shanti, Shusma, Mamta, Indu,	Shanti, Shusma, Mamta, Indu,	11			Ch No . 278964 date 08/11/2011	
8-Nov-11	Kalandi Prasad, Shanti, Shusma, Mamta, Indu	Kalandi Prasad, Shanti, Shusma, Mamta, Indu	63			278963 date 08/11/2011	

E-1

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,

जिला मीरजापुर उ0प्र0

विषय—पूर्व में दिये गये शिकायती पत्र जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम प्रार्थीगण ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा—84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर के निवासी हैं। हमने भूलवश एवं अफवाहों के वशीभूत होकर संलग्न शिकायती पत्र श्रीमान् जी को प्रेषित किया था। हमें पूर्व में इलाके के शरारती तत्वों ने गलत सूचना दी जिसके कारण हमने भूलवश शिकायत पत्र प्रेषित कर दिया।

हम स्वयं जब तहकीकात किये तब हमें कम्पनी के वाइस प्रेसीडेन्ट श्री कुक्कू टेक्कर जी से मुलाकात हुयी। श्री टेक्कर निहायत ही सज्जन, कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति हैं एवं उन्होंने हमें सच्चाई से अवगत कराया। अब हमें पूर्णतया ज्ञात हो चुका हैं कि उक्त भूमि में एक वृहद विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे न केवल हमारे ग्राम का वरन् हमारे पूरे जनपद एवं प्रान्त का भी विकास होगा एवं हमारा देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। हम, हमारा परिवार, हमारे ग्रामीण व इलाके के लोग प्रसन्नता पूर्वक स्वेच्छा से इस विकास में सहभागी बनना चाहते हैं एवं उक्त विद्युत परियोजना में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं।

श्री कुक्कू टेक्कर वाइस प्रेसिडेन्ट वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने ग्रामीणों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किया हैं एवं सतत् इस ओर अग्रसर हैं। श्री टेक्कर ने हमारे भूमि को काफी अच्छी कीमत हमें दिया हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। बिना किसी बिचौलिये के हमने बिना किसी जोर दबाव के प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी भूमि कम्पनी के नाम हस्तान्तरित कर दिया है एवं कर रहे हैं।

उक्त परियोजना की स्थापना के लिए कमिश्नर विन्ध्याचल मण्डल, जिला प्रशासन मीरजापुर, पुलिस विभाग, तहसील के कर्मचारीगण भी काफी प्रयासरत हैं। ह आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सबों के सहयोग से इस वृहद विद्यु

परियोजना का शुभारम्भ शीघ्रातिशीघ्र होगा एवं हमारा गाँव और जिला विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होगा जिससे हमारी आर्थिक दशा में निश्चित रूप से सुधार होगा।

अतः हमारे द्वारा दिये गये पूर्व के संलग्न शिकायती पत्र की ओर ध्यान न देते हुए इसे निरस्त करने की कृपा की जाय एवं हमारे द्वारा दिये गये भूलवश शिकायती पत्र हेतु हमें क्षमा प्रदान किया जाय।

प्रार्थीगण

प्रतिलिपि–

1– राष्ट्रपति भारत सरकार।
2 प्रधान मंत्री भारत सरकार।
3– ऊर्जा मंत्री भारत सरकार।
4– मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
5- ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
6– मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार।
7– मानवाधिकार आयोग उ0 प्र0।
8– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
9– उपजिलाधिकारी सदर, जिला मीरजापुर।
10– वेलस्पन एनर्जी तीसरी मंजिल प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली।
11– मण्डलायुक्त, मीरजापुर

E-6-

द्वितीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट 1665047

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 155 के अधीन पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध की प्रथम सूचना।

थाना मड़िहान जिला मीरजापुर सब-डिवीजन मड़िहान

संख्या 67/12 रिपोर्ट किये जाने का दिनांक तथा समय 16-5-12 12.30.

सूचना देने वाले का नाम तथा निवास-स्थान: कृष्ण कुमार अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी प्रा० लि० ग्राम ददरी खुर्द थाना मड़िहान

बनाम

मुलजिम का नाम तथा निवास-स्थान: शरणशंकर उर्फ रामानन्द सिंह S/o हरिद्वार सिंह R/o ददरी खुर्द PS मड़िहान मीरजापुर

अपराध, कानून की धारा, जो लागू हो: धारा-506 IPC

घटना का स्थान, दिनांक तथा समय: ग्राम ददरी खुर्द दिनांक 15-5-12 समय अज्ञात

दूरी व दिशा: प्रार्थी के पत्र से।

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइपशुदा

सेवा में थानाध्यक्ष महोदय थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर महोदय निवेदन है कि प्रार्थी वेलस्पन एनर्जी मुख्यालय प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि है। उक्त वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्राइवेट लिमिटेड ग्राम ददरी खुर्द तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर में 660X2 (1320) मेगावाट की एकतापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने जा रही है और परियोजना हेतु ग्राम ददरी खुर्द में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आपसी सहमति के आधार पर की जा रही है। गाटा सं० 140 रमाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह, शरणशंकर सिंह एवं जितेन्द्र बहादुर पुत्रगण हरिद्वार सिंह, श्यामबहादुर पुत्र कृपाशंकर सिंह, विकास बहादुर पुत्र रमाशंकर सिंह, सुषमा सिंह पत्नी कृपाशंकर सिंह, ममता पत्नी जितेन्द्र बहादुर, इन्दु देवी पत्नी रमाशंकर सिंह निवासीगण ग्राम ददरी खुर्द तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर से ग्राम ददरी खुर्द में भूमि क्रय की गयी तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य रु० 16183999/- अक्षरे एक करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार नौ सौ निन्यानबे रुपये मात्र प्रतिनिधि कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया। उपरोक्त भूमि का बैनामा के —

83

लगातार — निष्पादित होने एवं विक्रय मूल्य को बैंक को भुगतान होने के पश्चात श्री रणशंकर उर्फ रामाजा सिंह पुत्र हरिहर सिंह प्रार्थी को लगातार धमकी भेजने लगे कि वे प्रार्थी को झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, प्रार्थी के साथ मारपीट करेंगे तथा अपहरण एवं हत्या करने तक की धमकी दे रहे हैं तथा प्रार्थी से 5 करोड़ रूपये का गुण्डा टैक्स की माँग कर रहे हैं। उक्त श्री रणशंकर सिंह आदि कारतूसों से नागरिकों को इस प्रकार से नाजायज उत्पीड़न कर रहे हैं तथा लोगों से कहते हैं कि अगर कम्पनी उनके कहे अनुसार उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करती है तो किसी स्थिति में विद्युत परियोजना नहीं लगने देंगे। श्री रणशंकर सिंह उर्फ रामाजा सिंह प्रार्थी को झूठे एवं फर्जी मुकदमों में फंसाने, मारपीट एवं अपहरण की धमकी देकर तथा परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न कर अधिक पैसा कमाना चाहता है इसके लिए वह प्रार्थी पर दबाव डाल रहा है जिससे प्रार्थी काफी दबाव महसूस कर रहा है। प्रार्थी को ऐसी सम्भावना है कि श्री रणशंकर सिंह स्वयं या अपने किसी अन्य आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा दायर कराकर उन्हें परेशानी में डाल सकता है तथा प्रार्थी के साथ मारपीट कर सकता है एवं हत्या एवं अपहरण भी करा सकता है। श्री रणशंकर सिंह अपराधिक चरित्र का व्यक्ति है तथा पूर्व में भी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अतः उक्त के बाबत श्री रणशंकर सिंह के विरुद्ध मुकदमा कायम कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाय जिससे प्रार्थी एवं उनके द्वारा लगाये जाने वाले विद्युत परियोजना की रक्षा हो सके एवं परियोजना समय से पूरी की जा सके। प्रार्थी श्री ... अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 15-5-12

S.O [illegible] C.O. 15/5-12, HM/CM [illegible] 15/5/12 [illegible] S.O. 15/5/12

नोट:- मैं HM प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल बिना घट बढ़ के अक्षरशः किया जाता है।

HC 55 गोवर्धन यादव
हेड मोहर्रिर थाना मीरजापुर
दिनांक 16-5-12

WELSPUN

WELSPUN ENERGY UP PVT. LTD.

Ref : WEUPPL/MZP./.........

Dt.......................

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,

जनपद मीरजापुर

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्राइवेट लिमिटेड में प्रोजेक्ट हेड एवं अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उक्त वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्राइवेट लिमिटेड ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में 660×2 (1320) मेगावाट की एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने जा रही हैं और परियोजना हेतु ग्राम ददरीखुर्द उक्त में काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय की जा रही हैं तथा इसीक्रम में रमाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह, शरणशंकर सिंह एवं जितेन्द्र बहादुर पुत्रगण हरिद्वार सिंह, प्रकाश बहादुर पुत्र कृपाशंकर सिंह, विकास बहादुर पुत्र रमाशंकर सिंह, सुषमा सिंह पत्नी कृपाशंकर सिंह, ममता पत्नी जितेन्द्र बहादुर, इन्दू देवी पत्नी रमाशंकर सिंह निवासीगण ग्राम ददरीखुर्द तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर से ग्राम ददरीखुर्द में भूमि क्रय की गयी तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य मु0–1,61,83,999/–शब्दन एक करोड़ एकसठ लाख तिरासी हजार नौ सौ निन्नाबें रूपये मात्र प्रार्थी की कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया।

उपरोक्त भूमि के बैनामा के निष्पादित होने एवं विक्रय मूल्य के चेक के भुगतान होने के पश्चात शरणशंकर सिंह उर्फ रामाज्ञा सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह, प्रार्थी को लगातार धमकी भेजने लगे कि वे प्रार्थी को झूठे मुकदमों में फसा देंगे, प्रार्थी के साथ मारपीट करेंगे तथा अपहरण एवं हत्या करने तक की धमकी दे रहे हैं तथा प्रार्थी से दो करोड़ रूपये का गुण्डा टैक्स, की माग करने लगे। उक्त शरणशंकर सिंह आदि कम्पनी के कार्य में विभिन्न प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा लोगों से बताते है कि अगर कम्पनी उनके कहे अनुसार उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करती हैं तो वह किसी स्थिति में विद्युत परियोजना नहीं लगने देंगे।

श्री शरणशंकर सिंह उर्फ रामाज्ञा सिंह प्रार्थी को झूठे एवं फर्जी मुकदमों में फसाने, मारपीट एवं अपहरण की धमकी देकर तथा परियोजन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर ब्लैकमेल करना चाहता हैं। इसके लिए वह प्रार्थी पर दबाव डाल रहा हैं तथा इससे प्रार्थी काफी दबाव महसूस कर रहा है। प्रार्थी को ऐसी सम्भावना है कि श्री शरणशंकर सिंह स्वयं या अपने किसी अन्य आदमी से उनपर झूठा मुकदमा दायर कराकर उन्हें परेशानी में डाल सकता हैं तथा प्रार्थी के साथ मारपीट कर सकता है एवं हत्या एवं अपहरण भी करा सकता हैं। शरणशंकर सिंह अपराधिक चरित्र का व्यक्ति हैं तथा पूर्व में भी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हैं।

अतः उक्त के बावत शरणशंकर सिंह के विरूद्ध मुकदमा कायम कर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाई की जाय जिससे प्रार्थी एवं आने वाले विद्युत परियोजना की रक्षा हो सकें एवं परियोजना समय से पूरी की जा सकें।

प्रार्थी

कुक्कू टेक्कर

अधिकृत प्रतिनिधि

वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्रा0लि0

E-7

मूल / द्वितीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि–संग्रह की धारा 155 के अधीन पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य अ... सूचना।

पुलिस स्टेशन कोत० शहर सब–डिवीजन सदर

जिला गोरखपुर पर दी गई।

संख्या 79/12 रिपोर्ट किये जाने का दिनांक तथा समय 30-5-12 21-10

1– अभियोक्ता या सूचना देने वाले का नाम तथा निवास–स्थान: श्री फारूक पुत्र रफीक निवासी रामगाज थाना कोतवाली शहर जनपद गोरखपुर मो० 916175 37[illegible]0

2– अभियुक्त का नाम तथा निवास–स्थान: (1) रामाज्ञा सिंह उर्फ हरि [illegible] सिंह [illegible] थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर (2) पन्ना [illegible] सिंह [illegible]

3– अपराध, अधिनियम की धारा जो लागू हो: 504/506 IPC

4– घटना का स्थान, दिनांक तथा समय: [illegible] 29-5-12 [illegible] फारूक के निवास [illegible] पर हुआ।

5– पायलक का नाम तथा निवास–स्थान: [illegible] थाना कोत० शहर गोरखपुर [illegible] निवासी श्री [illegible] थाना कोत० शहर [illegible] महोदय, निवेदन है कि [illegible] कोतवाली थाना [illegible] जिला गोरखपुर [illegible] मु० अ० स० 201/12 धारा 323, 504, 506 भा०द०वि० व 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट [illegible]

6– घटना का संक्षिप्त विवरण: [illegible] थाना [illegible] जिला गोरखपुर मे [illegible]

86

मैंने [illegible] को [illegible] इस प्रकरण उपरोक्त [illegible]
पर [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] धारा [illegible] [illegible]
[illegible] गवाह [illegible] - [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
की [illegible] [illegible] [illegible] गवाही [illegible]
प्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गवाही दे
[illegible] [illegible] धारा की [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पर [illegible] पर प्रार्थी व [illegible] [illegible] गवाही देने पर
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 30-05-2012 [illegible]
[illegible] मो० नं० 9461759500 /
[illegible] [illegible] 660 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] /

[illegible]
30-5-12

87

E - 8

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

पृष्ठ संख्या

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय अपराध की सूचना

नाम [illegible]

पद की स्थिति [illegible]

जिला [illegible]

संख्या 12/12

घटना का दिनांक व समय 29-5-12

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल; दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
30-5-12 [illegible]	[illegible]	[illegible]

नोट- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

हस्ताक्षर [illegible]

पता

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी०एस०यू०पी० (सा०) 1 पुलिस 3-10-07--85000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

0423051

[illegible]

सेवा में

श्रीमान् थानाध्यक्ष, मड़िहान, मीरजापुर।

महोदय

निवेदन है कि मैं प्रार्थी [illegible] प्रसाद तिवारी —

नि॰ - भोरसर, थाना - कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर का रहने वाला हूँ। मैं राजेश तिवारी, कृपा चौबे, रामराज, [illegible], सचिन एवं प्रवीन जो [illegible] सिक्योरिटी सर्विस से [illegible] वेल्सपन एनर्जी प्रा॰ लि॰ परियोजना साइट ददरी खुर्द ग्राम में अपने ड्यूटी में तैनात थे कि दि॰ 29.05.2012 को रात्रि लगभग 11.30 बजे ब्लैक रंग की स्कार्पियो गाड़ी से [illegible] सिंह, [illegible] सिंह, [illegible] ग्राम [illegible] सिंह, पहुँचे एवं उनके साथ अपरिचित लोग थे जिनको हम लोग जानते पहचानते नहीं हैं। स्कार्पियो गाड़ी से रामाशंकर सिंह व मोटू सिंह पुत्रगण [illegible] सिंह नि॰ - [illegible] हाल पता - [illegible], मीरजापुर अपने हाथ में रायफल व बन्दूक लिये थे हम सुरक्षा कर्मचारियों पर जान से मारने की नियत से बन्दूक एवं रायफल से फायर किये जो हम लोगों के बगल से निकल गई। मैं भयभीत होकर जमीन पर गिर गया तो लोग राजेश तिवारी, कृपा चौबे, [illegible], सचिन, प्रवीन एवं [illegible] को रायफल के बट से [illegible] एवं लात मुक्के से [illegible] कहते हुए कि साले [illegible] यहाँ से [illegible] दुबारा यहाँ नजर आये तो जान से हाथ धो लोगे।

अतः सूचना देने आया हूँ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

[illegible] तिवारी पु॰ स्व॰ [illegible] प्रसाद तिवारी

नि॰ भोरसर थाना कोतवाली देहात मीरजापुर

9453788450

दिनांक
29-5-2012

96

E-9

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
बदली कटरा, मिर्जापुर (उ.प्र.)
Badli Katra, MIRZAPUR (UP) - 231001
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0032200

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

08062012
D D M M Y Y Y Y

249638

PAY Rama Shankar Singh या धारक को ~~OR BEARER~~

रुपये RUPEES One Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Twenty Five Only अदा करें ₹ 197225/-

खाता सं. A/c No. 0061002101610996 चालू खाता CURRENT A/c

For WELSPUN ENERGY UP PRIVATE LIMITED

Anurag chokhani

FDT

Authorised Signatory(ies)

"249638" 0000240001:

29

ग्राम [illegible] रमा शंकर सिंह

91

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AU 251470

महोदय द्वारा जो सहयोग किया गया है वह सर्वथा उपयुक्त व अतिआवश्यक था, इसके लिए भी सपरिवार उनकी प्रशंसा करते हैं, एवं उनके आभारी हैं। हम उक्त परियोजना के निर्माण हेतु स्वेच्छा से अपनी भूमि उचित एवं बाजारू मूल्य पर विक्रय कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमसे पूर्व या हमारे बाद उक्त ग्राम की भूमि कोई कैसे एवं कितने मूल्य पर विक्रय कर रहा हैं। हम एवं हमारा परिवार यह घोषणा करते है कि उक्त विद्युत परियोजना के निर्माण में हमारे सहयोग की जो भी आवश्यकता होगी वह हम निश्चित रूपेण करेंगे।

चूकि हम अपने परिवार के मुखिया एवं कर्ता है अतः हम अपने पूरे परिवार की ओर से उक्त भूमि विक्रय करने हेतु अधिकृत हैं एवं हमारे परिवार के सदस्य हमारे कहे अनुसार विक्रय विलेख पत्र पर हस्ताक्षर बनायेंगे।

उपरोक्त भूमि हम सीधे आपसे अर्थात कम्पनी प्रतिनिधि से बात कर विक्रय दर निर्धारित किये हैं. इसमें किसी भी प्रकार का कोई दलाल या मध्यस्त आदि नहीं हैं। चूंकि यह हमारी भूमि पूर्णतया अनउपजाऊ तथा हमारे किसी अन्य कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। अतः हम उक्त भूमि बेचकर उससे प्राप्त विक्रय मूल्य को अपने परिवार के उत्थान हेतु कार्य में प्रयोग करेंगे। जिससे हमारा एवं हमारे परिवार का एवं हमारे परिवार में आने वाले अगली पीढ़ी का उत्थान हो सकें। हमने अभी तक उक्त जमीन का न तो किसी से एग्रीमेन्ट किया है और न ही किसी अन्य को आपके आलावा बेचने का वचन ही दिया हैं। उक्त भूमि हमारे

करोड़ इकसठ लाख चौरासी हजार [illegible] 44,000=00 शब्द [illegible] विक्रय की जा रही है।

हम अपनी उपरोक्त भूमि का [illegible] दिनांक 08.11.2011 को करना [illegible]
हैं, तथा इसके लिए हम दिन के 10 [illegible] रजिस्ट्री कार्यालय में अपने पूरे परिवार
साथ जो उक्त भूमि के अंशधारक है [illegible]

परन्तु श्रीमती शान्ति देवी पुत्री लल्लन [illegible] उक्त भूमि की अंशधारक है, हरिद्वा[र]
गयी हुई हैं तथा दिनांक 11.11.2011 [illegible] वापस आयेगी। उनके आने के उपरान्त
दिनांक 12.11.2011 को विक्रय विलेखा पर [illegible] हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी,
अपना हस्ताक्षर करेंगी।

हम एवं हमारे परिवार के सभी सदस्य इस विक्रय से प्रसन्न है एवं इस विक्रय के उपरान्त
प्राप्त होने वाले रकम से भी पूर्णतया सन्तुष्ट है। हम और हमारे परिवार के द्वारा कुल 5 कित[ा]
विक्रय विलेख तहरीर किये जा रहे है। प्रत्येक विक्रय विलेख के आधार पर हमारे परिवार के कुल
5 बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार कम्पनी के नियमानुसार परियोजना [illegible] में नौकरी पर
रखा जाय, इसकी हमारी हार्दिक इच्छा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विक्रय की रजिस्ट्री के लिए जो करीब मु0–45,71,000/–
का स्टैम्प लगेगा उसकी खरीदारी कर विक्रय तैयार करना प्रारम्भ कर लिया जाय। जिससे
दिनांक 08.11.2011 को उपरोक्त विक्रय विलेखों का विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन किया जा सके।

आपका शुभेच्छु

साक्षी सं0–1 [illegible]

साक्षी सं0–2 [illegible]

रामाज्ञा सिंह

जितेन्द्र शंकर सिंह

रमाशंकर सिंह

कृपाशंकर सिंह

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report From 01-11-2011 to 22-05-2012

Service Outlet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 032200013012695 2 THR RAMA SHANKAR SINGH
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011	...	BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	~~67390PKS~~	~~61082AG~~
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		16,98,170.00	17,03,170.00Cr	63450RR	67390PKS
14-11-2011	14-11-2011	335801	TO SELF	6,45,000.00		10,58,170.00Cr	63450RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	335885	RAMA SHANK	10,55,000.00		3,170.00Cr	40847OTDB	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISD CLEARI	50.00		3,120.00Cr	29862AKPD	40847OTDB
10-03-2012	01-03-2012		INTT 032200013012695		2,122.00	5,242.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 17,05,292.00
Page Total Debit : 17,00,050.00

Closing Balance : 5,242.00

Total Credit : 17,05,292.00
Total Debit : 17,00,050.00

Signature :

22-05-2012 12:48:32

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report from 01-11-2011 to 22-05-2012

Service Outlet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 0322000130126961 IHR SHARAN SHANKAR SINGH
GI Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrumt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011							
14-11-2011	14-11-2011		BY CASH					
01-12-2011	01-12-2011		BY TR		5,000.00			
14-01-2012	14-01-2012	335891	SHARAN SHA	17,00,000.00	16,98,170.00	5,000.00Cr	67390PKS	61062AG
10-03-2012	01-03-2012		TSD CLEARI	50.00		17,03,170.00Cr	63458RR	67390PKS
			INTT. 032200013012696			3,170.00Cr	48047DTDB	SYSTEM
					3,208.00	3,120.00Cr	29862AKPD	48047DTDB
						6,328.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 17,06,378.00
Page Total Debit : 17,00,050.00

Closing Balance : 6,328.00

Total Credit : 17,06,378.00
Total Debit : 17,00,050.00

Signature :

107

22-05-2012 13:02:46

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report from 01-11-2011 to 22-05-2012

Service Outlet . 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 032200013012998 INR VIKAS BAHADUR SINGH
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		20,12,886.00	20,17,886.00Cr	63450RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	035900	VIKASH BAH	20,00,000.00		17,886.00Cr	48047DTDB	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISD CLEARI	50.00		17,836.00Cr	29862AKPD	48847DTDB
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 032200013012699		4,160.00	21,996.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 20,22,046.00
Page Total Debit : 20,00,050.00

Closing Balance : 21,996.00

Total Credit : 20,22,046.00
Total Debit : 20,00,050.00

Signature ....

109

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report From 01-11-2011 to 22-05-2012

Service OutLet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 0322000130126909 IHR JITENDRA SINGH
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	09-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		16,98,170.00	17,03,170.00Cr	63458RR	67390PKS
01-12-2011	01-12-2011	335806	JITENDRA S	17,00,000.00		3,170.00Cr	48847DTDD	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	50.00		3,120.00Cr	29862AKPD	48847DTDD
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 032200013012698		3,208.00	6,328.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 17,06,370.00
Page Total Debit : 17,00,050.00

Closing Balance : 6,328.00

Total Credit : 17,06,370.00
Total Debit : 17,00,050.00

Signature :

Signature

E-23

118

E-24

22-05-2012 13:09:50

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report From 01-11-2011 to 22-05-2012

Service Outlet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 0322000130126916 THR PRAKASH BAHADUR SINGH
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		4,80,495.00	4,85,495.00Cr	63458RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	335725	PRAKASH BA	4,80,000.00		5,495.00Cr	488470TDD	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	25.00		5,470.00Cr	29062AKPD	488470TDD
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 032200013012691		1,015.00	6,485.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 4,86,510.00
Page Total Debit : 4,80,025.00

Closing Balance : 6,485.00

Total Credit : 4,86,510.00
Total Debit : 4,80,025.00

Signature.

E-25

22-05-2012 13:10:22

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report from 01-11-2011 to 22-05-2012

Page 2

Service OutLet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 0322000130126925 INR INDU DEVI
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif. User
08-11-2011	08-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		59,93,430.00	59,98,430.00Cr	63458RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	335905	INDU DEVI	20,00,000.00		39,98,430.00Cr	488470TDB	SYSTEM
05-12-2011	05-12-2011	335904	INDU SINGH	20,00,000.00		19,98,430.00Cr	488470TDB	SYSTEM
05-12-2011	05-12-2011	335903	INDU SINGH	19,95,000.00		3,438.00Cr	488470TDB	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	50.00		3,388.00Cr	29862AKPD	488470TDB
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	100.00		3,288.00Cr	29862AKPD	488470TDB
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 0322000130126925		13,182.00	16,470.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 60,11,620.00
Page Total Debit : 59,95,150.00

Closing Balance : 16,470.00

Total Credit : 60,11,620.00
Total Debit : 59,95,150.00

Signature :

22-05-2012 13:09:21

PUNJAB NATIONAL BANK, KADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report from 01-11-2011 to 22-05-2012

Service OutLet : 032200 KADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 032200013012693 4 INK KRIPA SHANKAR SINGH
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		16,98,170.00	17,03,170.00Cr	63458RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	335080	KRIPA SHAH	17,00,000.00		3,170.00Cr	48847DTDB	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	50.00		3,120.00Cr	29862AKPD	48847DTDB
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 032200013012693		3,394.00	6,514.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 17,06,564.00
Page Total Debit : 17,00,050.00

Closing Balance : 6,514.00

Total Credit : 17,06,564.00
Total Debit : 17,00,050.00

Signature :

113

22-05-2012 13:10:51

PUNJAB NATIONAL BANK BADLI KATRA MIRZAPUR

Customer Account Ledger Report From 01-11-2011 to 22-05-2012

E-27

Service Outlet : 032200 BADLI KATRA MIRZAPUR (UP)
Account No : 032200013012694 3 INR SUSHMA DEVI
Gl Sub Head Code : 05100 SAVINGS FUND
Opening Balance : 0

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-11-2011	0.00	0.00	0.000000
08-11-2011	0.00	0.00	4.000000

Order by Transaction.Date.

Tran Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verif User
08-11-2011	08-11-2011		BY CASH		5,000.00	5,000.00Cr	67390PKS	61082AG
14-11-2011	14-11-2011		BY TR		9,04,500.00	9,09,500.00Cr	63450RR	67390PKS
02-12-2011	02-12-2011	335711	SUSHMA DEV	9,00,000.00		9,500.00Cr	48047DTDD	SYSTEM
14-01-2012	14-01-2012		ISO CLEARI	50.00		9,450.00Cr	29862AKPD	48047DTDD
10-03-2012	01-03-2012		INTT. 032200013012694		1,891.00	11,341.00Cr	303662IR2	SYSTEM

Page Total Credit : 9,11,391.00
Page Total Debit : 9,00,050.00

Closing Balance : 11,341.00

Total Credit : 9,11,391.00
Total Debit : 9,00,050.00

Signature :

114

रामाज्ञा सिंह व उनके परिवार की भूमि का विवरण

खाता सं0–1 खतौनी फसली वर्ष 1414 से 1419

रमाशंकर सिंह शरणशंकर सिंह कृपशंकर सिंह जितेन्द्र बहादुर सिंह	पुत्रगण हरिद्वार सिंह	सम्पूर्ण रकबा 26.460हेक्टे0

- उक्त आराजी में देवीचरन लाल पुत्र बलभद्र लाल के नाम मुकदमा नम्बर 148 ता0फै0 29.05.1954ई0 के द्वारा रकबा 96बीघा 4विस्वा भूमि प्राप्त हुई।
- देवीचरन लाल उक्त ने बजरिये मुख्तारखास लालजी लाल अपनी उपरोक्त भूमि 96बीघा 4विस्वा को बाबूनन्दन बेचन, हीरा, मोतीलाल पुत्रगण प्रयाग निवासी बेनीपुर, कसिवारराजा, जिला वाराणसी आदि के हक में पंजीकृत बैनामा तहरीर किया।
- नामान्तरण आदेश के द्वारा बाबूनन्दन आदि का नाम खतौनी पर दर्ज हुआ और 1394 से 1396 फसली की खतौनी खाता सं0–5 बाबूनन्दन आदि उक्त के नाम बनायी गयी।
- दौरान सर्वे प्रक्रिया सर्वे नायब तहसीलदार मड़िहान के एकपक्षीय आदेश दिनांक–27.12.1988ई0. को समझौता, बयान व कब्जा के आधार पर खाता सं0–5 से बाबूनन्दन आदि का निरस्त कर नाम रमाशंकर, कृपाशंकर, शरणशंकर, जितेन्द्र बहादुर पुत्रगण हरिद्वार सिंह का नाम दर्ज किया गया।
- मु0नं0–745 दिनांक 20.12.1993ई0 स0अ0अ0 आदेश हुआ कि खाता सं0–5 पर स0ना0 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.1988ई0 निरस्त किया जाता है। अभिलेखों में दर्ज नाम रमाशंकर, शरणशंकर, कृपाशंकर जितेन्द्र बहादुर पुत्रगण हरिद्वार सिंह निरस्त करके बाबूनन्दन वगै0 का नाम पूर्ववत दर्ज रहे।
- निगरानी सं0–9 आदेश दिनांक 31.01.1994ई0, मा0रा0परिषद आदेश हुआ कि स0अ0अ0 मीरजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1993 स्थगित किया जाता हैं।
- अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.1995ई0 द्वारा आदेश दिनांक 20.12.1993 त्रुटिपूर्ण मान गया/पत्रावली प्रत्यावर्तित हुई।
- स0अ0अ0 वाद सं0–13/24/20/55/119/171/792 आदेश–09.08.2001 द्वारा आदेश दिनांक 27.12.1988 यथावत रखा गया।
- दिनांक 27.12.1988 के विरूद्ध निगरानी समक्ष आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर, विचाराधीन है।

स्पष्ट है कि रमाशंकर आदि ने एकतरफा आदेश द्वारा बेचन आदि की जमीन को हाशिल कर लिया है और मुकदमा के दौरान ही मुकदमें को छिपाते हुए हमें विक्रय कर दिया। उक्त भूमि हरगिज इनकी पैतृक भूमि नहीं थी, न ही उनका कब्जा था असलियत यह है कि बैनामा दस्तावेज नविस्ता देवीचरन लाल बहक बेचन, होरीलाल, मोती आदि में स्पष्ट लिखा है कि आज से बेचन, होरीलाल, मोती आदि को भूमिधर अधिकार दे दिया गया है, स्पष्ट है कि देवीचरन लाल ने अपने तुरन्त बाद बैनामा करने के साथ–साथ कब्जा दखल क्रेतागण बेचन आदि को कराया था न कि रमाशंकर आदि को।

खाता संख्या 3 से 10

प्रकाश बहादुर | भूमि–62बीघा
विकास बहादुर |

शिवमोहन लाल–(भूमि के मूल खातेदार)

राजेश लाल पुत्र शिवमोहन लाल
10–2–8

सावित्री देवी पत्नी शिवमोहन लाल
62–0–0

फसलीसन् 1360–62 आदेश स0अ0अ0
ता.फै.–02.03.1994, मु0नं0–112
वसीयत व ग्राम प्रधान के बयान के
अधार पर बजरिये अपंजीकृत बसीयत
सावित्री देवी के स्थान पर प्रकाश व
विकास का नाम दर्ज हुआ।

प्रकाश बहादुर
31–0–0

विकास बहादुर
31–0–0

- प्रकाश बहादुर–31बीघा)
- यह कृपाशंकर सिंह के लड़के यानी रामाज्ञा सिंह के भतीजे है।
- खाता संख्या–3 से 10 में इनका अंश मात्र 31बीघा रहा।
- प्रकाश बहादुर ने अपने सम्पूर्ण अंश 31बीघा के स्थान पर केवल खात सं0–4 से ही 40बीघा का बैनामा बहक शकुन्तला देवी, पूनम, लवंगी, कुन्ती को हस्तान्तरित कर दिया।
- स्पष्ट है कि सावित्री के पुत्र राजेश कुमार के रहते, फर्जी अपंजीकृत वसीयत द्वारा उनके वारिस के रूप में प्रकाश बहादुर व विकास बहादुर का नाम दर्ज करवाया गया और अपने अंश से अधिक रकबा का बैनामा अन्य के पक्ष में किया गया जो उनके जाल साज होने का पुख्ता प्रमाण है।
- विकास बहादुर–इन्होंने भी सावित्री देवी के नाम की फर्जी वसीयत के आधार पर रकबा 31–0–0 पर अपना नाम दर्ज करा लिया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सावित्री देवी के एक मात्र वारिस राजेश लाल के रहते फर्जी वसीयत के आधार पर एकतरफा आदेश द्वारा प्रकाश बहादुर व विकास बहादुर का नाम दर्ज कराया गया है और प्रकाश बहादुर ने अपने अंश से अधिक भूमि का बैनामा भी शकुन्तला आदि के हक में किया है जो उनके जालसाजी का स्पष्ट प्रमाण है।

खाता संख्या–11

शान्ती देवी पुत्री लालता सिंह –पत्नी शरणशंकर उर्फ रामाज्ञा सिंह

सुषमा सिंह पुत्री शारदा प्रसाद –पत्नी कृपाशंकर

ममता पुत्री मारकण्डेय –पत्नी जितेन्द्र बहादुर

इन्दू पुत्री छोटू सिंह –पत्नी रमाशंकर सिंह

मदनपाल पुत्र बनवारी सिंह

रवीन्द्र नरायण पुत्र अम्बिका सिंह

ईश्वर शरण सिंह पुत्र राम अछैबर सिंह

- उक्त खाता संख्या 11 की भूमि के मूल खातेदार कुँअर जी लाल थे।
- कुँअर जी लाल ने दो पंजीकृत बैनामा तहरीर किया –
  (1) कुँअर जी लाल बहक हिरण्य देवी
  (2) कुँअर जी लाल बहक चन्द्रिका प्रसाद, सितवा आदि
- कुँअर जी लाल द्वारा निष्पादित प्रथम बैनामेदार हिरण्य देवी ने बहक कालिन्दी प्रसाद अपने सम्पूर्ण अंश का पंजीकृत बैनामा कर दिया, जो वर्तमान में खाता संख्या 63 बना हैं।
- दूसरे बैनामेदार चन्द्रिका आदि ने बहक श्रीनाथ, शंकर आदि 11 लोगों को पंजीकृत बैनामा कर दिया।
- श्रीनाथ आदि ने पंजीकृत बैनामा बहक उमाशंकर, मदनपाल, रवीन्द्र नारायण, ईश्वरशरण, घनश्याम, कृपानरायन, रामनरायन को कर दिया, जो वर्तमान में खाता संख्या 11 हैं।
- सर्वे नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 08.04.1992 द्वारा कब्जा, बयान व समझौता के आधार पर रामनरायन, घनश्याम नरायन, कृपानरायन का नाम निरस्त कर शान्ती, सुषमा, ममता, इन्दू का नाम दर्ज हो गया।

➢ शान्ती, सुषमा, ममता, इन्दू सभी विवाहित है, उनके पति का नाम

क्रमश : शान्ती देवी पत्नी शरणशंकर

सुषमा पत्नी कृपाशंकर

ममता पत्नी जितेन्द्र बहादुर व इन्दू पत्नी रमाशंकर सिंह है,

किन्तु जानबूझ कर उनके सामने पति का नाम न देकर पुत्री नाम दर्शाया गया, और सभी का पता ग्राम ददरीखुर्द दिखाया गया हैं।

- शान्ती देवी आदि जाति से क्षत्रिय है, ईश्वरशरण व कालिन्दी प्रसाद आदि जाति के पटेल (पिछड़ी जाति) हैं।
- दोनों भिन्न–भिन्न परिवार के व जाति के सदस्य हैं।
- शान्ती देवी पत्नी रामाज्ञा सिंह आदि द्वारा भिन्न जाति के व्यक्ति को परिवार का सदस्य बताकर फर्जी पारिवारिक समझौता बनवाया गया, और अचल सम्पत्ति से चल सम्पत्ति का बटवारा दर्शाया गया।
- उक्त कथित पारिवारिक समझौते के आधार पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर व इम्पोस्टर से बयान व हस्ताक्षर कराकर, न्यायालय को धोखे में रख कर आदेश एकतरफा दिनांक 16.02.2010 द्वारा प्राप्त कर लिया गया और पारिवारिक समझौते के आधार पर कालिन्दी प्रसाद आदि का नाम निरस्त करा दिया।
- जानकारी होनें पर कालिन्दी प्रसाद ने एफ.आई.आर. दर्ज कराया और शान्ती देवी आदि के विरूद्ध 419, 420, 467, 418 आई.पी.सी. में अभियोग दर्ज हुआ।
- कालिन्दी प्रसाद आदि के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र द्वारा पारिवारिक समझौता का आदेश दिनांक 16.02.2010 निरस्त हुआ।

स्पष्ट है कि भिन्न जाति के लोगों को परिवार का सदस्य बताकर और विवादित आराजियात को पैतृक बताकर , फर्जी पारिवारिक समझौता बनवाकर, न्यायालय को धोखे में रखकर, जमीन प्राप्त की गई है। उक्त सम्पूर्ण जालसाजी को रचने वाला मास्टर माइण्ड रामाज्ञा सिंह उर्फ शरणशंकर सिंह हैं।

हरगिज उक्त भूमि–पैतृक नही थी, वरन बैनामें से प्राप्त थी।

कोई भी बैनामा शान्ती देवी आदि ने नही कराया था।

सभी भिन्न–भिन्न पिता की सन्तान हैं एक परिवार के सदस्य हरगिज नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में भिन्न परिवार के लोगों के बीच बनाया गया पारिवारिक समझौता व उस पर प्राप्त आदेश जालसाजी का स्पष्ट प्रमाण हैं।